The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI) in the Chair.

RESOLUTION RE; NEED TO AM-I AND (CEILING AND

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka):Mr.

ir, last lime I was referring to some of the views of the eminent :n of the Supreme! quoting the Supreme Court again Judge. Mr. Tulzapur-kar's view about this Act while delivering his judgement, he said that this Act of the year 1976. the Urban Ceiling Act, is' ill-conceived and ill-drafted and its provisions have misfired and produced results opposite of what was intended. This is the view of the Supreme Court Judge which 1 have quoted last time also. When this Act was passed in 1976, several questions were raised in Parliament within three years. After that a Working Group was appointed in the year 1979 to find out whether this Act which has been passed is being implemented properly or there are any deficiencies in this if there are deficiencies, then Act and to remove those deficiencies. This how Working Group submitted its report in the year 1980. Sir, the then Works and Housing Minister, Mr. Sethi stated about the implementation of this Act on 18th March 1980:

"The Urban Land Ceiling Act, in its present shape, had proved an obstacle in the way of building activities. The non-availability of land at reasonable prices in the urban areas was one of the major factors inhibiting the taking up of housing programmes up to the desired level."

This was the view in the year 1980 and the Act was passed i_n 1976. Again in the

year 1981, the then Works and Housing Minister, Mr. Bhishma Narain Singh, also expressed the same opinion saving vernment is intending to bring an amendment to this Act and wanted to change the entire Act also. After that, I do not know why the Government, even after deciding in the year 1980,ne \ in ion. In the year 1982, the then Deputy Works and Housing Minister. Mohan Mohanti. told the T-Ok Sabha during the ihat the Government is is amend - 1982 also, uo-was done in this Act. The position continued, even till today, no amendments have been brought in this Act. Even on 13th November. 1982 Mr. K. L. Bhagat, who was at that time the Minister for Housing and Works, also expressed that the Government was bringing legislation to replace this Act and farreaching amendments would be brought. Not only that, Sir. On 5th July, 1984, Mr. Buta Singh, while addressing the Consultative Committee also promised that "we taking action to bring the amendments in this Act." But succesively nothing happened. Why I am bringing this to the notice of the hon. House is that everybody is satisfied and everybody is convinced that this Act. after it was passed, has brought any changes. Sir. why is this Act so defective? It is because the Act has been passed hurriedly. In Parliament and outside even in the State Legislatures at that time there was strong urge, and the people have been urging the Central Government and the State Governments that for the sake of land reforms you are taking away the farmers' lands but you are not touching the lands of the big landlords, big fellows in the cities and, therefore, you must bring an Act to take away the surplus lands from the big people. Therefore, in 1976. hurriedly this Act was passed and there were a large number of loopholes. T think. Deshmukb has rightly pointed out that there are a large number of loopholes which have to be plugged or a new Act has to be brought in. Sir, even the Prime Minister on 28th February,

[Shri Veershetty Moglappa Kushnoor]

1987, while presenting the Budget as the Finance Minister, has said about this Act. Mr. Gandhi said; "Though ten years passed after passing this Act, less than one-half to one per cent of the land declared surplus has actually been used for construction. Meanwhile scarcity of land has pushed up rents and speculative profits in urban areas. The worst sufferers had been the poor. And this was not a;cep able. The Government lias discovered that it has not been able to take possession of even one per cent wast? land in 71 cities and towns." Sir, this is the view of the Prime Minister also. No! that...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): Who is at fault?

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: I will come to that also.

SHRI V. NARAVANASAMY (Pondicherry); The respective Stats Governments have not implemented it,

SHRI VEERSHETTY **MOGLAPPA** KUSHNOOR; Sir, there was a question in the Parliament on 27th April, 1987. Our senior members of th; Congress Party. Mr. Bhagwat Iha Azad and Rao Birendra Singh were very critical of this Act. Our hon. Minister, who is sitting here now, himself admitted that 'we are bringing the amendments as early as possible.' I am unable to understand why the Government, even after knowing it from 1980 onwards, is hesitating to brine the amendments or "to replace the entire Act for the sake of the common man. If you want to provide houses, etc.. to the poor people, you must bring such kind of legislation. But why it has not been brought, I am unable to understand. As I have already stated last time, even Mohsina Kidwai has said that they wanted to 'bring' forward a legislation. So I want a categorical assurance from the Minister that this Act is coming and I want to know whether it is being brought forward as an amendment or as a fresh Act and the present Act is being replaced by a new Act. There

must be an assurance on this question because this- question has been raised several times in the Lok Sabha and eve_n in the Rajya Sabha. You see,, my friend, Mr. Deshmukh has brought forward this Resolution keeping in view all the lacunae in this Act.

Sir, coming to the Act itself, last time also I have not mentioned in detail, but I have briefly stated that the Act which has been passed, under it the vacant land, the surplus land, which has been declared for what use, it is according to section 23, it is only for industries and industrial workers. It shall be competent for the State Government to allot by order the excess land which is deemed to have been acquired by the State Government under this Act or is acquired by the State Government under any other law and allotted to any other person relating to or in connection with any industry or for privateresidential accommodation of such type as may be approved by the State Governments to their employees or to any {Interrnptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think that is for the industrial land and not all land, i.e., land which is take_n for industry, in that case it applies.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR; Sir. my humble submission is it is not. This is the only section which says how it is to be disposed of, this surplus land which has been taken by the State Government. This is the only provision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI); Mr. Minister, will you please clarify?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): Afterwards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What is the actual provision? What he says, is it for industrial land or all land?

SHRI DALBIR SINGH; Surplus land, it is 'all lands'.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: But the disposal of this, what is the use, what for are we using? Who will be the beneficiary? Section 23 clearly says that this land will be for the industry or industrial workers. Was it the intention, at that time when Members of Parliament and others raised the on, that it was not restricted only to industry or industrial workers and that it was for poor and other persons, homeless persons? That must be the intention. It is not the ion that certain types or cate-gores of persons only must get this land. That was not the intention.

Now, Sir, the other very interesting provision in this Act is that State Governments have been given power of exemption to declare exempt certain lands. Whenever are no such conditions, they can exempt. As here, the Government has taken only 6,000 hectares in its possession after declaring nearly 18,000 hectares whereas the State Governments h' given 43.000 hectares as exempted in order to build hotels or whatever they want to do with that. It j this that many State Governments taking shelter and they are giving exemptions to whomsoever they like. I am not attributing it to any one State.. All States under this provision, which has given powers to the State Government, they are giving recklessly. That is 43,000 exemptions hectares which are surplus land, they have exempted and big hotels and other things are coming up on these exempted lands. My submission is that in granting these exemptions, even if they are in several States the State Governments have favoured their own kith and kin, have favoured their own friends by granting: exemptions to surplus land. Not only that Sir. There is even a charge of corruption at the higher levels for So. this giving such kind of exemption. exemption is also meaningless

because on the side you want that surplus land must be declared and should be taken over by the State Governments, and on the other side you are giving exemptions. There should not be a provision wherein nearly 60 to 70 per cent of the land is given exemption where big buildings come up. Even section 27 also prohibits transfer It says; "Notwithstanding urban property. anything contained in any other law for the time being in force, subject to provisions of sub-section 3 of section 5 and subsection 4 of section 10, no person shall transfer by way of mortgage, gift or lease for a period not exceeding ten years or otherwise any urban or land and urbanisable buildings which constructed before are or after commencement of this Act, or a portion only of such buildings for a period of ten years of such commencement from the date on which the building is constructed, whichever is later, except with previous permission, in writing, of the competent authority". I am unable to understand it. Once there is a surplus land so declared, there is no question of any permission being given to transfer it or lease it to any other person. There must not be any such provision Once any land is declared surplus, it must be immediately taken possession of by the Government. That shoulri be the provision. But insteRd of that, thev are giving permission for ten years or more.

Provision about payment of compensation is also ridiculous. I refer to section 11, clause B(ii). This is about compensation. "In a case where no income is derived from such vacant land, an amount calculated at rate not exceeding Rs. 10/- per so. mt. in the area of the vacant land situated in urban agglomeration falling under category A and B specified in Schedule I, and Rs- 5/- in the case of vacant land situated in urban agglomeration falling within category C or category D specified in that schedule." It shows the actual compensation, the highest amount of comnen-

[Shri Veershetty Mogjappa Kushnoor]

sation, that is being paid, and which is so meagre. And oven with regard to payment of compensation also, Rs. 25,000 i.- paid in cash and the balance of Rs. 2 lakh has to be paid ;ity years...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SH DESAI): Maximum is Rs. two lakhs.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Yes. lhat is the maximum amount. As Justice Tulzapurkar, Supreme Court Judge, said, this is the most ill-conceived and s' piece of legislation. And it is proved alter reading it.

Therefore. I humbly and earnestly request the hon. Minister that this Act must be replaced by a new legislation in order to give protection to poor people.

With these observations. I conclude.

*SHRI R. T. GOPA1.AN (Tamil Nadu): Mr. Vice Chairman Sir, I whole heartedly welcome the Resolution introduced by the Hon'ble member Shankarrao Narayanarao Desh-mukh. While we say that agriculture is the back bone of India, the fact remains that most of the farmers are much below the poverty line. It is only the farming community which has become wretched because of thankless overworking. I would like to warn this Government of a possible dangerous consequence. The candle burns itself to give us light. Same is the plight of our farmers today. If their tears are not wiped and the grievances redressed the entire nation will be plunged into darkness oneday. This is what we learn from the past history.

The Hon'ble food Minister has stated time and again on the floor of the House that the Government has

•English translation of the original speech delivered in Tamil.

enough baiter stock to meet the havoc i by drought and Hood. But it is unfortunate that he neverword of praise for the invaluablewho made this buffer stock posi leignoredit is unoi-ie in other rofe; strike because. the; have s. But owing to illiti

be passive. The power because their rasters and led.apart, the Central some state Governments acquire agriof Urban cultural lands in the name development and providing to the Urban poor. In this kind of acquisition, the affected land worst the small farmers. Affluent are lords somehow escape the When the law government : rquires land, the poor people do not gi due compensation. The small fs become much disgusted meagre compensation that they to switch over to some other -profession to earn their bread. Thi of mass exodus of the fa community is ominous of the impending disaster. This should be care of in all seriousness.

Mahatma Gandhi said that India prosper only if the rural India He thought, then alone. 'Ram Rai He realised. what happens here just the opposite. Therefore I urge upon the government toadopt such measures see that the small farmers do mt other profession. The government, while acquiring land, should be gracious and provide the affected farmers with cultivable land elsewhere and sufficient money to meet the expenditure incurred on migration. Otherwise, the affected^ farmers would be forced to look upon, this government and society as enemies.

Sir, I wish to bring to the notice of this House, how, the rural poor and the far-

mere arc well looked after in Tamilnadu. under the stewardship of the Hon'ble M lister Dr. M. G. R. 'Ram Raj' the dream of Mahatma Gandhi has become true in Tamilnadu. The late Chief Minister Dr. Anna said, "the tiller Tamilnadu should own the soil he tills." ving l«s foot steps the government milnadu has gone a big way in assigning the barren lands to the landless and providing them enough funds make them cultivable. It has also identified the inal farmers and has been them long-term and nominal-inle-rest less than two acres of land Those with are given electricity free of or the purpose of irrigation. I wish point out (hat if this is possible for a Slate government why the Centre can not in a nig way. I request the govern-to consider the resolution of Shri Shankarrao Narayanarao Deshmukh and: the Urban Development (Ceiling and Regulation! Act, 1976.

With the mushrooming growth of real the country, corruption esta-es have been increasing alarmboth cost ofland, in urban areas. has shot up SO much of land is beyond the poor. I one.- again urge reach upon the government to curb this menace I support the resolution that seeks due share of the rural folk.

अ राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपमभाद्यक्ष जी देशमध जी ने यहाँ इस सदन में जो संकल्प प्रस्तृत किया है में तसका हदय न समर्थन करता है। उन्होंने इसमें कहा है। शहरी स्रोर वामीण जभीनी के मल्य दिन पर दिन बहने चले जा रहे हैं। यह अपनी बनद सदी है और भूमि के सौदों में बहुत बड़ा ज्ञाट चार भी है यह उन्होंने इसमें चर्चा की है। उप मभाध्यक्ष महोदय मझे भी इपी विषय में थोड़ा मा कहना है कि शहरी भूमि को अर्जित की जारी है शहरों के नाम से वह ले तो ली जाती है लेकिन ए तो उमका बहुत दिनों तक वस्तोमल नहीं होता जिसं ने राष्ट्रीय क्षति मानता है। वह बहत दिना तक पड़ी रहती है। सन् 1960 की जमीन सभी तक खाली है गाजियाबाद में जो प्रक्वायर कर ली गई। यो तो यह जमीन

ग्रर्जन का काम मारे देश के शहरोंके नज-दीक ही रहा है देश का कोई महर क्यों न हो वहां पर यह जमीन अर्जित करके शहरी नाम से लें ली जाती है और बाद में उसका बरी तरह से दरुपयोग ीता है। जब किसानों में जमीन ली जाती है तो उस वक्त उसका कम ने कम मुधावजा दिया जाता है। बाद में लेने के सुरन्त बाद जब उसकी दसरों को दी जाती है तो उसकी वीमन कई गना बढ़ जाती है। किमान के साथ यह न्याय नहीं है। उस बबत विसान के साथ जो बायदा किया जाता है कि जमीत लेने के बाद उसको प्लाट देंगे वह नहीं दिया जाता छौर जब वहां पर उद्योग लगाया जाएगा तो उसमे उसके बच्चों को नौकरी दी जाएगी लेकिन वह भी ब।यद पुरा नहीं होता। जब किसान उजह जाता है तो उसके बसाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं बहन से ऐसे उदा-हरण दे सकता है। जिस सदन में ग्राज हम अगैर आप बैटे हैं यह हमारे पर्वजों की जमीन रावसिना गांव की थी। आज रावसिना रोड है. नजदीक ही है यहां से हमने उज-इना शरू किया है और यहां से जाकर जितना भी शहर है वह बाहर को वसता चला गया है, चाहे नीएडा हो, गानियाबाद हो जीवडीक्स हो स्रीट बाहे दी दी ए बने सब्ध यहां के किलानों को उजाड़ा गया अंग्रेजी राज्ये में तो पैसों में मुझा-बजा दिया गया था । लेकिन प्राज भी मग्रायजे की दरें, कीमतें बढ़ी दोने के बाव-बंद भी कम है और मन्नावजा बक्त पर दिया महीं जाता। मधायजे पर जो सद है वह भी नहीं दिया जाता। परेकानी इतनी होती है कि मुझावजे में से बहल मा हिस्सा मचावजा देने वाले ही से लेते हैं। ग्राए दिन किसान परेणानी में हैं। इसके ग्रसावा भी जो बड़ी परेशानी है वह यह है कि उद्योगपति जो वहां जमीन ले लेंगे या बड़े ब्यापारी बमीन ले लेंगे वह किसानों की कीमत पर और उन्हें उजाइकर किया जाता है। डी॰डी॰ए ने नो कछ ग्राधिकास्यों के खिलाफ एकसन लिए हैं लें। जो जी०डी॰! है नीएडा धवारिटी है या ग्रीर कोई भी ग्रयारिटी हो वहां पर जो बढ़ता हथा भ्रव्हाचार है उस पर चैकिन होनी चाहिये। मझे बहत सी घटनाये याद है। नीएटा में बहुत बड़ी झील बनाई गई जिस पर लोग बताते हैं कि करोड़ों रूपया खर्च किया [श्री रान चन्द्र विकल]

गया भ्रौर करोडों रुपये खर्च करके बहुत क पसे में उद्योगपति को क्यों दे दी गई ? इसकी जांच करेंगे तो यह विना समझे ही अपने आप समझ में ग्रा जाएगा कि इसमें कितना भारी घोटाला है। नीएडा में एक स्कूल में मैंने खुद 1967 में पत्थर लगाया फो-रेस्ट मिनिस्टर की हैसियत से और अभी 15 दिन पहले उस पर बलडोजर चला दिया गया, न ग्राम के प्रधान से पछा और न ग्राम की कमेटी से पूछा और एक कैस्ब्रिज नाम के स्कल को देदिया गया है। इस तरह के पढ़िलक स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल जमीन केलाम के उप खोले जा रहे हैं और जो एक खुला व्यापार नजर आता है, एक बडी इंडस्टी नजर ब्राती है। इंडस्ट्री में भी शायद इतना मुनाफा न हो जितना ग्राज पढिलक ग्रीर कैंद्रिज स्कलों को खोलने के नाम से हो रहा है यौर गांव के लोगों को उजाहा जा रहा है। गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मालम है नौएडा में ग्राज कितने लोग इसी धातंक या मिनी मीसा लगाकर भ्राज जेलों में बंद पड़े हुए हैं उन पर थोड़ा-थोड़ा अपराध भी नहीं है लेकिन जिन कर्मचारियों का हाथ इस तरह के भ्रष्टाचार में है ग्रगर उसको जांचा जाए तो उन गांव के लोगों के ग्रपराध से उनका अपराध कहीं वड़ा है। उनको आरज जेलों में बंद होना चाहिये, अगर कोई न्यायसंगत जांच करना चाहते हैं ? भ्राज इतनी ग्रन्धेरगर्दी है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ग्रनेक सरकारी ग्रधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं जो कि जमीन का खुला व्यापार कर रहे हैं। वार-बार हमने कहा है। हमारे दिल्ली शहरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के तीन जिले ले लिए गए, गाजियाबाद है, मेरठ है, बलंद-शहर है। इधर सोनीपत ले लिया गया, रोहतक ले लिया गया, महेंद्रगढ़ ले लिया गया, फरीदाबाद ले लिया गया ग्रीर राजस्थान का ग्रलवर ले लिया शहरी क्षेत्र बढाने के लिये। जब इतने जिलों की जमीन ले ली गई तो ग्राप खल करके इस जमीन का सद्पयोग करें, इंडस्ट्री लगाए, कुछ भी करें, सरकारी ग्रस्पताल बनाएं, स्कल बनाएं कोई रोकने व ला नहीं है। लेकिन उन्हीं गांवों के लोगों पर, जिनका कोई रिकार्ड तो है नहीं उनके मकानों पर बलडोजर

उनके घरों तर बुलडोजर चला दिए जाते हैं और कुछ के छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़े गए श्रीर क्यों गिराए गए, दोनों में भारी करण्यन है। दोनों में इंतहा करण्यन है। इसको कोई भी जांचे तो सिद्ध हो सकता है 'पौर सिद्ध होने पर कोई भी उच्च श्रधिकारी जो उससे सम्बन्धित रहा है आदेश देने वाला वह गिरफ्तार हो सकता है, अगर इसकी न्यायसंगत जांच की जाए ? इस जमीन के मामले में जैसा इस विधेयक में भी

3.00 р.м. है वहत मल्य वह गए ग्रीर दिन-व-दिन वढ़ रहे हैं। लेकिन उद्योगों के

नाम पर ग्राप उनको छट दे सकते हैं 4 करोड रुपया उद्योगों में श्राज फंसा हुआ है, जैसी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। यह कोई उनसे वसल होने वाला नहीं है। खाली उद्योगों के लिये जमीन ही नहीं दी गयी है, उनकी विजली सस्ती, पानी सस्ता ग्रीर जो कोटा-परमिट हो वह भी सस्ती दर पर दिय: जाता है। लेकिन फिर भी उद्योग कामयाव नहीं होते। कोई जांच करने वाला नहीं है। उद्योगों के नाम पर जमीन ले ली गयी है. उद्योग कोई लगा नहीं है ग्रौर बैंकों से भी कर्जा ग्रलग से ले लिया। लेकिन जो किसान की जमीन है, उसे अपनी जमीन की कीमत भी नहीं मिलती, मुद्यावजा भी समय पर नहीं मिलता । मैं समझता हं कि यह किसानों के साथ ज्यादती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप किसानों को. उसके बच्चों का उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मझे इसी संदर्भ में नौशेरवां वाद-शाह का एक किस्सा मंत्री जी को सुनाना है, उनको याद होगा, नीशेरवां बादशाह का नाम आज भी देश में मशहर है कि एक बढ़िया की झोपडी थी जो कि वादशाह के महल के नक्शे में आती थी । बादशाह ने अपने पैरोकार को बढिया के पास भेजा कि बढिया से कहो, हम इतना महल बनाकर फलां जगह दे देंगे । लेकिन बहिया की जमीन हमारे नक्शो में प्राती है, वह छोड़ दे। बृद्धिया ने कहा---नौशेरवां का महल अपनी जगह है और मेरी झोंपडी अपनी जगह है. मैं इसी में रहना चाहंगी, बदलना नहीं चाहती। उसके इंसीफ का किस्सा आज भी मशहर है लेकिन आज कितने मकान गिराए जाते हैं कितने लोगों को उजाडा जाता है, कितने स्कुल गिराकर दूसरे स्कुल बनाए जाते हैं

म्राज एक भी उदाहरण नौशेरवां का मंजूर होने को यहां तैयार नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रीन-पार्क छोड़े जाते हैं, चाहे वह दिल्ली में हों चाहे गाजियाबाद में, चाहे फरीदाबाद में, या किसी नो शहर में हों। अज ब्रिधिकारी लोग जमीन के व्यापार में दिलचस्पी लेने लगे हैं, वह ग्रीन-पार्क भी एलोट कर देते हैं जाहे जिस किती को जबकि यान-वाक एक पालिसी है, चाहे वह दिल्लो में हो या बाहर हो कि यह ग्रोत-पाकं रहेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण ग्राज है, मंत्री जी खद जीच लें कि ग्रीन-पार्क कितने बेच दिए गए। आखिर क्यों वेचते हें जीत-शर्कों की ? यह लेत-देन का मामला चलता है। आज मैं खाली इंजीनियरों, डेकेदारों को दोषो नहीं समझता, ब्राज तो यह सारे ब्राधिकारी भी पीछे हीं हैं। ग्रधिकारी भी इंजी-नियरीं, ठेकेदारीं से आगे पहुंच गए हैं। जो जहां जनीन लो जा रही है शहरों में, वहां काफी भ्रष्टाचार पाया जाता है। जो :रीव मजदूर वहां रहते थे उनको उजाड़ा जारहा है, गांव में किसान को थोड़ा-बहुत मुझावजा तो मिल गया. लेकिन उंवचारीं को रहने की जगह नहीं है। फर्जी एफीडेविट देकर कोई भी होशियार आदशी जाजर वहां किसी को पैदा कर देगा, लेकिन वहां के रहने वालों को जरूर उजाड़ा जाएगा। वहां के निवासी मजदूर को कोई भी जगह नहीं, किसानों को कोई भी जगह नहीं। लेकिन फर्जी हलफनामा देवेकर कोई भी ग्रादमी उसको ले लेगा, फिर दूसरा प्लाट तीसरी जगह ले लेगा या अधि-कारियों से सांठ-गांठ करने वाला हो तो वह कोई जगह उजड़वा देंगे श्रीर वस जायगा । हर उजड़ने श्रीर बसने के पीछे कुछ न कुछ मुनाफा बंधा हुआ। है। यह काम न केवल दिल्लो में हो रहा है, ब्रास पास भी हो रहा है श्रीर कोई देखने वाला नहीं है।

उपसभाष्यक महोदय, इस विधेयक के द्वारा में मंत्री जी से निवेदन करूंगा

कि ग्राप जांचने का काम ग्रपने जिम्मे ले लें, मुझे ग्राप पर भरोसा है। दिल्ली में देखिए, कुछ अधिकारियों कः सजा मिली। ग्राप दिल्ली में, गाजियाबाद में देखें, मेरठ में देखें, नासिक में देखें, कलकत्ता में देखें, देश में जहां भी विकास प्राधिकरण हैं या इस नाम से संस्थाए वनो हैं, वहां फर्जी को रेटिव सोसायटी लोग बना देते हैं। चुंकि ज़रीन एक व्यापार हो गया है श्रीर इसमें दूसरे उद्योगों से ज्यादा मृताफा है, इसलिए फर्जी कोपरेटिव सोसायटियां बन रही हैं। ग्राप इन कोपरेटिव सोसायटीज को जनीन दें, लेकिन किसी को उजाड़ कर न दें और जिनको आप देते हो, उनको न्यायसंगत दास से दो।

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ में यह कहना चाहता हूं कि जिन कितानों को उजाड़ा जाता है, जिनकी जमीन नी जातो है चाहे किसी काम के लिए भी तो उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप उनके बालिग बच्चों को भी कोई अधिकार नहीं देते हैं, नौकरी देने का काम भी नहीं, मुझावजा भी वक्त पर नहीं, बोस-बीस साल तक मुझावजे की दरें रखते हैं, उस पर कोई सूद भी नहीं। तो कितान और उसकी जमीन के साथ न्याय होन चहिए।

महोदय, मैं श्रिष्ठक नहीं कहना चाहता। ग्रगर नंत्री जो खुद जोंच करें तो ठीक है। साथ ही मेरा सुझाव है कि एक सबंदलीय समिति बनाएं आप इस सदन की, वह सारे देश में चक्कार लगा ले तो सारी तस्वीर थहां आपके सामने ग्रा जाएगी और ग्रापको मालूम हो जाएगा कि जमीन के सोदों में क्या-क्या चलता है, किस तरह किसान तबाह है, किस तरह लोग मुनाफा कमाते हैं। ग्राप इस सदन की एक कमेटी बना दोजिए श्रोर ग्रपने स्तर पर भी जांच करवाएं या जो भी ग्रापको एजेन्सी मंजूर हो, उससे जांच करवाएं तो मैं समझता हं कि इस विधेयक को संशोधित [श्रो राजचन्द्र वि.ल]

रूप से लाने के लिए देशमुख जी के ग्राप हामी ही जाएंगे। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशमुख जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHR1 B. SATYANARAYAN REDDY 'Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, very important and useful Resolu-;en moved by Shri Shanl Narayanrao Deshmukh. I welcome this Resolution.

While moving this Resolution he brought some very important points not only to the general public but also the Government. The malpractices, corruption and all the ills that are being indulged in land dealings have been brought out, very thankful to him. He, being a Member of the Treasury Benches, must influence the Government. Of course, we manding this. The whole House supports this. He should also pay his own role by influencing the Government to bring immediate changes in this Act and put an end to th abuses - which are pre-valent to this day.

The most important things which he has broughr to the notice of this House and the Government are these. Of course, everybody knows, the price of land, bothiral land and the urban land, has:rab!y shot up, and the prices are going up higher and higher every day. There is a lot of corruption There are no two opinions about it. Corruption isin in land dealings, land transactions. Who are doing this? Those who have got black money at their disposal,: these land transactions. They purchase land at a cheap ra'e and sell the same land at a thousand times more price than what they pay to the original owner. So. I would like to 'draw the attention of the Government to these ills.

Apart from that, a great injustice has been dome to the poor farmers from whom the land has been acquired. Of course.

the middle men. the men who have money at their disposal, are making money, they are able to have palatial buildings, they are doing everything. What about the poor men, agricultural farmers who have got two, three, five, ten acres? Their land has been acquired, their land has beentaken away for a small amount. Theirposition has noi been improved, anywhere. You go to any family any farme Theyai s -either able to give goodeducationtotheir children nor goodhouse to live in nor a nice way of life. But the man who has taken the land from him today is living a luxurious life and is having a palatial building and everything else. What action is the Government going to take to stop this state of affairs? The whole system is to be changed. The whole economic policies and planning have to be changed. Until and unless we take drastic action in planning these things, this is nor going to improve. We may pass laws, we may pass so many ordinances and Acts and all those things. They cannot be sufficient until and unless the Government, the men in authority, who are responsible, are determined to do justice to the cause of the people in general. This is very important. For example, I would like to draw the attention of the hon. Minister because he deals with the subject. In Delhi, for example, very near to my House. I would like to give an example, there was a big open land just in front of the Loknayak Bhavan. Previously, animals etc. used to roam in that open land. After some time, with great expenditure—T think, lakhs of rupees might have been

nark was develo'ped. and the boundary wall was construe'ed. Trees werfe planted. A big festival was held. Ceremonies were conducted. Ministers were invited and speeches made. I thought this area will be improved. Within three months T have seen trees have disappeared. Contractors have erected structures on the land and that park is no more there. Tt has been converted in'o a dirty place. All kinds of dirty articles are being put there by the contractors and the whole area has become unhygienic. The contractors have done this in collusion with the authorities responsible in that area. have written so many times

to the Municipal authorities and the administration to kindly come and look into the matter and see what is happening there. Nobody has come. As a matter of fact, I threatened two contractors and asked them that I will not allow them to carry out these things which ieopaidised the hygienic condition of the people. They told me, these are the orders of the authorities, what can they do? It has become a dumping place for all sorts of materials and is the dirtiest place in the area. So, the land which has been available in Delhi is either being misused by the contractors or authorities or has been converted into slums. Wherever open land is there, slums have come up. There is no check by the authorities. I would like to know why the department or the Ministry or the Government is not taking any serious view of all these things. After erecting structures, after the slums haV3 come up or after illegal constructions have come tip and people have lived there for three or four years, all of a sudden authorities come to demolish it. Why? Really those who have constructed houses or colonies and have lived there for ten years, why will they allow its demolition? They will not. It is not their fault. It is the fault of the Government. On the first day itself, it was the duty of the Government to demolish the illegal and unauthorised constructions. Similarly, people who have no risht over the land, due to high prices of land, are occupying the Government land and are selling it to others. What action has the Government taken against them? No action. The Government has not taken any action to remove all these ills.

My learned friend Mr. V. M. Kushnoor, while pointing out some of the lacunae in the present Act, also referred to what the Supreme Court has said. The Supreme Court observed about the Land Ceilings Act as 'ill-conceived and ill drafted'. If there is any lacunae in the Act, it is the duty of the Government or the Minister to revise it. They should go through the Act and rectify it and see that all the ills which mv learned friend has drawn attention to through this Resolution are removed. The Government should go through this and see that justice is done to the people in general. Therefore,

through this Resolution what we want the Government to do is to take immediate steps to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, so as to:

ensure immediate payment to the land owners whose agricultural lands fall within the agglomeration area under the Act, at the prevailing fair market price, instead of deferred payment of l|4th of the fixed price in cash and 3|4th in Government bonds to mature after the expiration of 20 years, as laid down in the Act. It is very reasonable. I do not think the Government has got any difficulty in havim: this.

Similarly, another suggestion is: to remove the inequitable and unnatural division of areas into urban and non-agglomeration or rural areas under the Act; to save farmers whose agricultural land happens to fall within the agglomeration arett from ruination as a result of unjust and

inequitable implementation of the law -------for which several crores of rupees are being
spent to the detriment of the society at large.
There are very important and simple things
and Government should not have any difficulty in accepting these suggestions which
have been provided in this Resolution.

In view of the present situation that is prevailing in the country sepcially in big cities like Delhi, I request the Government to take a serous view o these things and amend the Act and' see that these ills are put to an en.-' to. Thank you.

श्री विठ्ठलराव माधवराय जाहत (महाराष्ट्र): उपसभाष्ट्रयक्ष महोदय, मेरे मित्र श्रीर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता श्री शंना वेशमुख जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है उसका में पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारे देशमुख साहव एक बड़े विधायक महाराष्ट्र विधान सभा में रह चुके हैं श्रीर महाराष्ट्र में ही नम्बर तीन की नासिक पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह एक प्रस्थात वकील भी रहे हैं श्रीर ग्रामीण [शा विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

समस्या धीर नागरिक समस्या के बारे में उनका बहुत बड़ा ग्रध्ययन है। उन्होंने बहुत ही ग्रभ्यासपरक जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है मैं समझता हूं इस देश के समग्र नागरिक समस्याओं की जड़ क्या **है उ**सको <u>।</u> न्होंने यहां ्खा है। वह प्रस्ताव पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने इस को पारित कर दिया, पारित करने की बात ती गोड़िये, मगर एक ऐसा संयुक्त विधेयक स सदन में लाया गया जिससे कई ंमस्याश्रों से हमें छटकारा मिल सकता 31

उन्होंने जो पहला प्रस्ताव रखा है:

"शहरी श्रीर ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है,". यह सच है। ग्राप भी वम्बई शहर से आते हैं और मैं भी महाराष्ट्र से आता 🖁 । 25-30 साल पहले जिस भूमि की कामत एक रुपये प्रति स्कवेयर फुट थी आज उसकी कीमत 300 रुपये प्रति स्कवेयर फुट है। जिसकी कीमत 5-10 रुपये स्कवेयर फुट थी छाज उसकी कीमत 4-5 हजार रुपये सम्बेयर फुट हैं। पता नहीं ये कीमतें बढ़ते-बक्ते कहा तक जायेंगी। जमीन इतनी महंगी हो रही है और मनुष्य इतना सस्ता हो रहा है कि इस भूमि पर पांव रखने के लिए नी भूम उपलब्ध नहीं होगी । ऐसी अवस्था हमारे देश में होने जा रही है। इस लिहाज से हमारे देशमुख साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि शहरी धीर ब्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूमि के मृल्यों म भारी वृद्धि हुई है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सारा सदन इससे सहमत है।

दूसरा प्रस्ताव है कि भूमि के लेन-देन और सीदों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें भी कोई दो राय नहीं ही सकती। मझे ग्रन्छी तरह से याद है कि दो-तीन साल पहले, मुझे तारीख

तो याद नहीं है लेकिन 'इलस्ट्रेटिड बीकली' नाम की जो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक बड़ी वीकली है उसमें आया था कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला या प्रोफिट देने वाला या नफा कमाने वाला अगर कोई घंघा है तो जमीन की लेन-देन का धंधा है। बड़े शहरों में ग्रगर ग्राप देखेंगे बम्बई में या दिल्ली में सबसे बड़ी कोठी जिस की होगी ग्राप उसके बारे में जरूर सोचेंगे कि यह जमीन का लेत-देत का धंघा करने वाला ग्रादमी होगा । हमारे देश का जो काला धन है उसका इसमें बडा हिस्सा हो सकता है । स्टेटेस्टिक्स मेरे पास नहीं हैं। मगर भ्रष्टाचार का दरिया बहता जा रहा है। इसकी रोकयाम करना बहत जरूरी है।

तीसरा प्रस्ताव है कि नगर भिम (अधिकतम सीमा ग्रीर विनियमन) अधिनियम, 1976 का लाभ उठाने के प्रयोजन से फर्जी गृह निर्माण सहहारी समितियां बन गई हैं। इनकी मांग है कि इसको बदलना चाहिए। में इससे पूरी तरह से सहमत हं।

चौबा प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम ने अनुचित और बोधगम्य कल्पना की जन्म दिया है, जिससे भूमि की काला-बाजारी और फर्जी लेत-देन में विद्व हुई है। पि जो भारतीय ग्रथंव्यवस्था की मलाधार है, शहरी निधंनों की सहायता करने के बहाने पूरी तरह चौपट की जा रही है। सबसे ज्यादा जमीन वि के लिए थी लेकिन यह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। शहर बढ़ते जा रहे हैं । जैसे जैसे छ।बादी बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न होने के कारण वहां की आबादी महरों की तरफ जा रही है और शहर आगे अभे बढ़ते जा रहे हैं। शहरों में ठेकेदार जमीन खरीदते हैं 8 रुपया गज, 10 रुपया गज और एक महीने बाद उसको 20 रुस्ये गत पर बेच देते हैं। यह कितना सीधा घंघा है कि 100 रुपया आज लगाओ और 200 रुपया कल पाओ। यह घंबा सट्टा और मटके के घंधे जैसा है। अगर आपको इस मटके के घंधे को अपने देश में बंद करना है तो इसके बारे में आपको बहुत गंभीरता से सोचने की जहरत है ऐसा मैं मानता हूं।

महोदय, इसके बाद उन्होंने यह भी रखा है कि इस सभा की यह सम्मति है कि सरकार को नगर भूमि (ग्रधिकतम सीमा ग्रौर विनियमन) ग्रधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो मेरे भ्रन्यतम साथी चौधरी दलवीर सिंह साहब, जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रातेहैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मतला हमारे दोस्त ने उठाया है और इसकी तरफ अवश्य ध्वान दिया जाये । अगर जल्दी से जल्दी नियमों में इसके अनुपार परिवर्तन किया जारे तो यह बड़ा हितकारी होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि परिवार के मुखिया और व्यस्त सदस्यों में ही भिम बांटने के वर्तमान तरीके के स्थान पर परिसम्पत्ति के काननी उत्तराधिकारियों ग्रीर ग्रवयस्क सदस्यों में भूमि को बांडा जा सके। इसके साथ ही तांथ उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि संकुतन क्षेत्र में ग्राने वाली क्षि भिम के किसानों को कानून के यन्यायपूर्ण यीर अन्तित किया-स्वयन के परिणामस्वरून नष्ट होने से बचाया जा सके जिसके लिए करोड़ों काए ब्यय किये जा रहे हैं ग्रीर इसने सामान्यत: समाज को नुहमान हो रहा है।

उपसमाध्यक्ष महोदय, नागरिक सम-स्याओं पर एक बहुत अच्छा प्रस्ताब हमारे ज्येष्ट्रतम् मित्र लाये हैं प्रोर जैमा कि मैंने पहले बताया जो लोग हमारे देश में अच्छी आधिक स्थिति में नहीं हैं, उनकी कुछ मूलभूत समस्याओं हैं। जो लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं वे जानते हैं कि आज जमीन की क्या कीमन है? मैं तो इस सदन में कहना हूं कि यहां के पना नहीं किनो सदस्य हैं जो बम्बई

ब्रौर दिल्ली में 1 हजार स्क्वायर फीट जमीन लेकर मकान बनाये हुए हैं। म्राम म्रादमी के लिये यह संभव नहीं है। अभी कोई काम गरीबों का नहीं हो रहा है। महोदय, पहले हमारे देश में 14 उद्योगपति ये लेकिन ग्रव 130 हो गये हैं। जमीन का व्यापार करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और उनके पास कोलाधन भी जमा हो गया है। शहरों की आवादी बढ़ती जा रही है ग्रौर गांव की ग्राधिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इंसान की लबते प्रिय चीज अपनी मां होती है नगोंकि उसके उदर से वह जन्म लेता है और मां के बाद जो जिंदगी भर इंबान को खिलाती है वह भूमि होती है क्योंकि उसमें अनाज पैदा होता है और उस पर इंसान जीता है। इसके वारे में मान्यवर, मुझे एक भेर याद आया है:

मिरा तेरा अगड़ा कैया एक आंगन की मिट्टी है

अपने बदन ने छू कर देखों मेरे बदन की मिट्टी है।

तो वही बात है। उस मिट्टी के हम सब हैं। तो अगर हम उस मिट्टी का भी व्यापार करने जा रहे हैं तो यह हमारे लिये बदिकस्मतो की बात है। उस मिट्टी का, उस मां का, उस मात भिम का जो ब्यापार हो रहा है, उसकी बाजार में जो नीनामी हो रही है इसको रोका जारे, इतना ही प्रश्न प्रस्तावक महोदय ने हमारे नामने रखा है। मैं कहता हं कि इससे ज्यादा ग्रीर कोई श्रन्छ। प्रस्ताव हो हो नहीं सहता है। यह हमारे देश की मूलभूत समस्या है श्रीर अगर इसको रोका जा सकता है तो इसने हमारे देश का सारा भ्रब्टाचार भी खत्म हो जायेगा। ग्रामा भ्रष्टाचार तो हम इसके जरिये से हो खत्म क**र** सकते हैं।

उनसभाव्यक्ष महोदय, आप मेरे से सीतियर हैं, आप राजनीति में रह चुके हैं। आप महाराष्ट्र... उपसमाध्यक्ष (श्री जन्नश देसाई): ग्रभी भी हं।

श्री विठठलराव माधवराव जांधव:
मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं।...
(स्थवधान)... मैं तो चाहता हूं कि श्राप
इस कुर्सी से श्रागे की कुर्सी पर चले
जायें। हमारी शुभवामनाथ श्रापके साथ
है। श्राप बहुत श्रच्छे श्रादमी है। श्राप
नागरिक व्यवस्था के भी मंत्री थे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): When this Act was there, I was the Minister of this Department.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Therefore, I am stating this

उस डिपार्टमेंट के आप मन्त्री रह चके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की क्या समस्याएं है। यह समय ग्रव अ गया है कि हम अपनी पार्टीज, स्वार्थ, रावर्न तिव बातीं को एक तरफ रख कर उनको । एणार्थण कर दें वा गंगापंण कर दें। राम तेरी गंगा मैली हो गयी, पापियों के पाप धोते-धोते, अगर हम भी छपने पाप इसमें धो देंगे तो हमारे पाप भी धल जायेंगे। इसलिये हम सबको सभी मतभीद भलावर के बादस में बैठ कर के सोचना चाहिये वि हमे देश को कसा बनाना है और इसकी मलभत समस्याये क्या हैं। यह देखने के बाद हमें दख के साथ वहना पहेगा कि गये 40 साल में हमारी सर-कार ने कोशिश करने के बावजद भी यह जो लोब तांविव दाच। है, डेमोन्नेटिव प्रोसेस है उसमें ज्यादा कछ हम नहीं कर पाये हैं। हमें बेलने का मलभत इधिकार है। अगर में यह बोलता हं तो मेरे खिलाफ दूसरा ब्रादमी जा कर बाहर जावर विसी दूसरे ष्लेट फार्म पर बनवास गरता है। धगर कोई राष्ट्रिय समस्या घठाते हैं तो दूसरे ग्रादमी इसवा विरोध भी वरते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को आजार्द दिलाई लेकिन एवा आदमी ने एठ वार उनकी हत्या वार दी। द्नियां के हर देश में ऐसी घटनायें होती हैं मगर में यह उक्र वहना चाहता हूं कि अनु-शासन वका होना चाहिया। वब इस लिहाज

से हम सोचते हैं तो बहत सी गम्भीरता से हमें इस समस्या की तरफ देखना चाहिये। में ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से तथा नेतागण सं कि यह जो नाग-रिक समस्या है भिम की उसके बारे में जरूर कानन लाना चोहिये । मैं वहना चाहता हं कि द्यादादी बढ़ती जा रही है । पराणों में यह है कि हमारे देश में 33 करोड़ देवता थे। 33 कोटि वा मतलब यह था हर इंसान में जो ब्रात्मा है वह देवता के समान होती है। जब ग्रात्मा पवित्र होती है तो वह भगवान का रूप होता है और जब दियत होती है तो वह राक्षस का रूप होता है। हिन्द्रतान की ग्राबादी 33 करोड उस यमाने में थी और सब लोग ग्रन्छे ग्राचरण के था। इसलिये सब 33 कोटि देव बन गये। अब तो हिम्दस्तान की ब्रावादी 80 करोड़ हो गई है पता नहीं वह देव हैं या राक्षस बन गये में इस के बारे में कुछ नहीं वह सकता ह। मगर हमें ऐसे साव की जरूरत है जो हमारे दिल की मैल जो बरसों से बैठी हुई है उसको साफ बार दे। इसलिये इस लिहाक से हमें अब क्या गरना चाहिये इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये। अगर इस तरह से हमारी ग्राबादी बहती गई तो अगले 50 साल के बाद यदि हम सब के लिये मकान बनवाने की सोचें तो हमारी एग्रीवरूचर के लिये एक बीधा जमीन भी नहीं रहेगा। इब हेसी अवस्था आ चकी है जिससे फिर वही बात आ जाती है फ्राबादी को नंदोल गपने की पापलेशन को 🐇 वंदोल वरने की फिर मैं वह बात वहंगा कि इन सारी समस्यात्रों के साथ यह धावादी का सवाल जड़ा हुआ है। अगर हुमें इस समस्या को हल वरना है तो हमें यह निश्चित करना होगा विः हम को नया वदम एठाने हैं। जब पदम उठाने की बात झाती है तो जाधव साहब के पास 50 एकड जमीन है तो उस में से पांच एवड़ रख कर के 45 एवड़ देनी होगी तो मैं उसमें अलग टांग मारने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसमें हर एक का अपना-अपना इंट्रेस्ट होता है। इसिलिये जैसे हमारे देवता लंगो ने वहा है कि अगर सुधार करना है तो पहले अपने घर से शुरू हुना चाहिये। यह तय करके जब 🚽 हम इस के बारे में प्रस्ताव पास करेंगे अपने ग्राप इसके लिये हमें ग्रपने दिलों को मजबूत बनाना है बाहे फायदा हो या घाटा हो मगर

हमें यह बात करनी है हमें यह निर्धारित करना है तो हम यह सब काम कर सकेंगे। अभी देशमुख साहब हमेशा सदन में बोलते हैं तो ना सक की नागरिक समस्याओं या शहरी समस्यायों को हरेशा उठाते हैं। उन्होंने अपने बाजु में देखा है कि क्या हो रहा है और बड़े-बड़े उद्योगपति क्या करते हैं। एक उद्योगपति कारखाना बनाता है तो वह क्या करता है। ऋोरंगाबाद बहुत बढ़ रहा है। कहते हैं एशिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग यह शहर है। ग्रोरंगवाद की ग्रजंता ग्रीर एलोरा केव्ज, इंटरने गनल एअरपोर्ट होने जा रहा है ग्रीर सारे देश के ग्रान्ट्रप्रानर्ज वहां जा रहे हैं क्योंकि बम्बई बहुत नजदोक है। बमबई जितनी महंगाई को अहंगाबाद में नहीं है। एयर क्शे में हैदराबाद ग्रीर वम्मई के बीच में आता है। मगर एक इंड दोपलिस्ट जब जमीन खरीदता है तो वह 150 ए इ. 100 एकड या 200 एकड़ खरीदता है या 300 एकड जमीन खरीदना है।

[उरसभाष्ट्रक्ष (श्रो मुस्तफा विन कासम) पीठासीन हुए ।]

क्योंकि ये उद्योगपति बहत होंशियार लोग होते हैं। ग्रगर कारखाना चला ही नहीं तो सो डेढ़ सौ एकड़ जमीन जो है उसको 5 सौ या हजार रुपये गज से बेंच देंगे ग्रीर कारखाना लगायेंगे दो करोड़ में लेकिन सौ या दो सौ करोड़ रूपये भिम में से निकाल लेंगे। यह जो उनके दिल का कालापन है यह हमें जानने की जरूरत है श्रीर सारे उद्योगपति यही करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग चोर हैं। कछ उद्योगपति टाटा के जैसे भी हैं। पता नहीं उन्होंने कितना इन्कमटक्स चुकाया या नहीं यह तो श्राया था सदन में, मगर अच्छे तरीके भी अपनाये, अपने देश में टाटा इंस्टी-टयट ग्राफ फंडामेंटल साइटिफिक रिसर्च. बम्बई ने अच्छा काम किया है। डा॰ भाभा उनके प्रोडक्ट थे। मगर इन सबकी तरफ एक राष्ट्रीय प्रवित्त होनी चाहिये उद्योग-पतियों की ।

श्रमी सी पी श्राई (एम) वाले नहीं हैं पता नहीं उनको साम्यवाद से कितना प्रेम है या समाजवाद से कितना प्रेम है। हमें हर बात पर सीलिंग लगाने की जरूरत है। मैं तो इस विचार का श्रादमी हूं कि हमारे देश में जो 30 वड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने 30-40 हजार करोड हमये का धन इकट्ठा किया है

उनकी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाये। यह उनके बाप की जायदाद नहीं है। यह गरीबों के खुन पसीने की, मेहनत की कमाई है जिनको ये लोग रात दिन लुट रहे हैं। इन लोगों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करें इसमें कोई पाप नहीं है बल्कि यह बहुत बडा पुण्य होगा । राम ने रावण का वध किया था, कृष्ण ने कंस को मारा, अर्जुन ने महाभारत किया । ग्राज के दर्योधन राज्य करने वाले नहीं, भ्राज के दुर्योधन वे हैं जो गराबों का खन पसीना पीते हैं। आजादी के जमाने में महात्मा गांधी ग्रौर पंडित नेहरू जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश में ऐसे राक्षस पैदा होंगे। मगर बद-किस्मती इस देश की है कि एक ब्रादमी भ्रच्छा हो जाता है उसके बाद फिर कलिय**ग** शुरू हो जाता है। तो ऐसे कलियग की बार्ते जब यहां चल रही हैं और उस लिहाज से हम सोचते हैं तो कुछ तो इनके बारे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस दिष्ट से यह बहुत जरूरी है कि पहले नागरिक समस्यात्रों के बारे में हमें सोचना है। हम नागरिक समस्यायों का हल नहीं कर सके हैं। इसका क्या कारण है ? इसका एक ही कारण है कि हमारे देश के सारे बड़े **बड़े** समाचार पत्न, बडे घरानों ने रखे हये हैं। कोई टाटा से संबंधित है, कोई विड्ला से संबंधित है, कोई गोयनका से संबंधित है। वे सरकार का समर्थन करते करते भी अक्ने इंटरेस्ट का समर्थन सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसे तरह से सरकार को मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं कि उनकी घरानाशाही हमेशा चलती रहे। जब ऐसा चल रहा है तो फिर गांधीइज्म कहां से लें, नेहरूइज्म कहां रहेगा । इंदिरा गांधी जी ने 1981 में कहा था, जब भिम की समस्या उठी, कि किसानों की भूमि का मग्रावजा बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा मिलना चाहिये। मबर हमारे देश में किसी के दिल में कुछ अञ्छी बात आई भी तो वह कछ नहीं कर सकता। गांधी जी के दिल में यही था कि ग्राजादी मिलने के बाद इस देश में जो आर्थिक विषयता है उसको नब्ट किया जाये, जो धार्मिक भेदभाव है, कोई अछत है, कोई स्पश्य है, कोई ग्रहा एवं है इन सबको खत्म किया जाये तथा आर्थिक विषमता को दर करने की लडाई इस देश में शरू की जाये। गांधी जो यही चाहते थ मगर हमारे देश में जो ऊपर बैठने वालं

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधवी

महान्तु हैं, सारे ज्ञान की ठेकेदारी लेने बाले लोग हैं उन्होंने गांधी जी की हत्या करवा दी। आज कोई भी अच्छी बात कहता है चाहे इंदिरा गांधी ने कही हो, महात्मा गांधी जी, जान० एफ० कैनेडी ने कही हो, दुनिया का यह रिवाज है कि उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि जो उच्चतर समाज है वह डर जाता है कि अगर इस आदमी की कांति यशस्वी हो जायेगी तो हम आगे चलकर कुछ नहीं उर पहली । इसी लिए गांधी जो से लेकर इंदिरा गांधी तक अच्छे लोगों की हत्या की गयी।

श्राजादी की लड़ाई 5 स्टार होटलों के एयरकंडीणंड कमरों में बैठ कर नहीं लड़ी जाती है, श्राजादी की लड़ाई, श्राजादी की जंग लड़ी जाती है हमारे भारत के ग्रामों में किसानों के खेतों में, श्राजादी की लड़ाई गांधी जी ने किसानों के संगठनों की जान पर लड़ें।

एक बात मुझे याद आ गई। वसंत दादा पाटिल के समय में उनका 70वां जन्म दिवस था। समाचार-पत्नों ने इतनी प्राग लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस के खिलाफ दादा अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। उनके भाषण का एक सेटेंस में आपको सुनाना चाहता हूं। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शुरू ऐसे किया कि जब गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया चम्पारन में, तो उनके साथ राजेन्द्र प्रसाद थे। वह बहुत बड़े हमारे देश के नेता थ। राजेन्द्र प्रसाद का जन्म पटना में हुआ था। शायद वह किसान होंगे, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उन्होंने गांधी जी को पूछा कि बापू आप लड़ाई चम्पारन से क्यों शुरू कर रहे हैं?

तो गांधी जी ने राजेन्द्र बाबू से कहा कि बात ऐसी है कि अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है, अगर हमें आजादी हासिल करनी है, अगर किसान नहीं हैं, तो कांग्रेस नहीं होगी, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो किसान नहीं होगा। यह गांधी जी ने कहा था और इसीलिये आज भी यह बात सच है कि हमारे किसानों को अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रकार के रास्ते दिखा कर बहुकाने की कोशिश कर रहे हैं।

उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है। जब तक किसानों को आर्थिक लाभ नहीं मिलता—तीस-चालीस साल उन्होंने हमारी इंतजार कि —अगर मेरी जगह आज कोई कहता है कि मैं आपको न्याय दिलाता हूं, वह न्याय तो दिला नहीं सकता, मगर गुमराह तो जरूर कर सकता है। तो वह बेचारे उसके पीछे ही हो जाते हैं। इसलिये मेरा काम जो चालीस सालों में मैं नहीं कर पाया, वह दादा ने कहा था—मुझे पता नहीं कि मैं भी कर पाउंगा या नहीं, मगर मैं बहुत ही ईमानदारी और प्रमाणिकता से कहता हूं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री, राजीव गांधी के नेतृत्व में हम किसानों की लड़ाई इस देश में जरूर लड़ेंगे। और सारी लड़ाई यही है।

श्रगर किसान की लड़ाई लड़नी है, तो किसान का और भूमि का कितना संबंध है, जैसे मिट्टी का और बदन का है, मां और बेटे का है, यह भूमि—पुत्र की ही भूमि अगर लील गई, अगर पुत्र की भूमि का ही नीलाम होने लगा बाजार में, तो कैसे लड़ेंगे।

मुझे मालूम है कि हमारे देशमुख साहब और हमारे विचारों में बहुत दफा अन्तर भी होता है, मगर उसका प्रिस्पिल एक है, सिद्धांत एक है, हमारे तत्व एक हैं, कि जो भूमि किसानों की है, वह उनको ही मिलनी चाहिये, उस किसान को नहीं जो घर में भैठ कर हजारों गुलामों को स्लाकर अपनी खेती करता है। उसको में किसान नहीं कहता। किसान वह है जो अपनी भूमि में अपने हाथ से हल चलाता है, वह किसान है और हमारे यहां वैसे भी किसान कितने है ?

उहकी तक सील में अगर गये, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में 47 प्रतिशत जो किसान हैं, या रूरल पाप्लेशन है, वह एक हैक्टर से बिलों होल्डिंग का है, 47 प्रतिशत और सिर्फ 7, 8 या 10 टक्का तक का जो किसान है, वह बड़ा किसान है। वह 7 प्रतिशत भूमि 47 प्रतिशत लोगों के पास है। आज हमें उनकी भी लड़ाई लड़नी है और यह सारा व्यवहार कहां हो रहा है। यह जो 47 प्रतिशत भूमि वाले किसान, जिनके पास 7 टक्क जमीन है, पहले यह छीनी जा रही है, उसके बाद उससे बड़े किसानों की जो होंगी, उनकी भूमि छीनी जोएगी और फिर क्या होगा कि एक तरीके से अंग्रेजों ने राज किया, अभी जो आधिक सम्बाद पदा हुए हैं, वह दूसरी तरह से राज करना चाहते हैं।

एक बात तो उन्होंने स्वीकार की है और उसमें काफी उनको विषय भी सिल चुकी कि हमारे देश में काले घन की एक पैरलल इकानभी तैयार हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंध की रिपोर्ट के अनुसार 56 हजार करोड़ स्पये का काला घन हमारे देश के ध्यवहार में चल रहा है, जब कि हमारे देश का नेशनल बजट 60 हजार करोड़ है और उसमें से 4—5 हजार करोड़ का डेफिसिट अगर हमने निकाल दिया, तो काला घन और हमारे देश की सरकार का जो बजट है, वह बरावर है।

तो इससे काम नहीं बनेगा । यह जो काला घन कमान वाले चोर हैं, उसका बंदोबस्त हमको करना चाहिये । हमारे गुजराती में बोलते हैं कि यह जो झाड़ी में बैठे हुये शंकराचायं है, उनक बाल पकड कर हुँमें उन्हें निकालना है ग्रीर वाहर जमीन की तरफ फेंकना है। तब हम अपने देश में कुछ काम कर सकेंगे, कुछ क्रांति कर सकेंगे भीर यह जो सारे लोग हैं, वह नागरिक बस्तियों में जाकर बैठे हुये हैं। अब उनको पता चला है कि देहातों में कुछ रहा नहीं है धब देहातों मैं फिर इरोगशन आ जाएगा। ग्रगर हम जब सोचेंग कि कृषि मृल्यों को भी ग्रच्छी तरह से दिया जाए, रेम्युनरेटिव प्राईस दिया जाए, तो मुझे हर है कि सारी भूमि लने के लिये वह नागरिक क्षेत्र में बैठे हुये जो बड़े लोग हैं, वह भ्राकर हमारी भूमि खरीद न लें और उसका भी बाजार न करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MOSTAFA BIN QUASEM): Mr. Jadhav, please try to conclude. You have already spoken for 25 minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV; Okay.

तो इस लिहाज से जब हम सोचते हैं तो यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। उपसभाष्यक्ष महोदय, ग्रामीण व्यवस्था की दर्शा घौर शहरों में बढ़ता हुआ स्लम ये बहत ही भयानक समस्यायें हमारे सामने हैं। इन समस्याद्यों की तरफ देखते हुये हन ऐसा लगता है कि शायद भारत का क्य होगा ? आज जब बम्बई शहर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि 50 प्रतिशत जनसंख्या स्लभ में उद्दर्श है। स्लम में कैसे लोग रहते हैं? आपका को तारज्व होगा कि झोंपड़-पटटी में रहते वाल जो लोग हैं उनके पास टी व्वी विश्वी ग्रीर ट्रांजिस्टर भी है ग्रीर सुख के सा साधन है फिर भी वे अपन घर नहीं खरी सकत वयोकि घर बहुत महना हो चका तो हमारे देश का साधारण मन्ध्य अप ब्राधिक उत्पन्न से जो साल का है उसर कहीं भी एक राज जमीन भी नहीं खरी सकता। हमारी हालत तो ऐसी है कि द गज जमीन भी नहीं मिली दफन के हिए ऐसी बात हो चकी है। अभी आप हिल्ल बम्बई, मद्रास, बालकत्ता में देखिये बहा 25 साल पहले कितना क्षेत्र या और ग्राज कितना क्षेत्र हो चुका है। अभी सारा महाराष्ट्र जो बसा है बम्बई से पुना तक 192 किलो भीटर में पना से नासिक तक और नासिक से बम्दई तक ऐसा एक दायएंगल तैयार हो चुका है, वेस्टर्न रेलवे, सेन्ट्रल रेलवे ऐसेंसे200 किलोमीटर में सारे महा-राष्ट्र की ग्राधी से ज्यादा आबादी रहती है क्योंकि बम्बई में, पूना में, नासिक में धन्य जगहों से रोजगार मिलता है, कुछ तो खाने को मिलता है। ग्रामीण धर्थव्यवस्था परी तरह से बर्बाद होने के रास्ते पर है। ग्रभी हामर कालिंग घटशन ग्राया था कल्पना राय जी का गन्न के मामल पर, यह सिर्फ गन्न की बात नहीं है मगर कहने की बात यह है कि खेती का घंघा पूरा खत्म होता जा रह-है क्योंकि हमारे खती का जो छत्पादन है ह सौ रुपये क्विंटल किसान बेचता है और ट हजार रुपये क्विंटल से वह बापस लेता है। यह है विषमता। ग्रगर ऐसे ही एक्सप्लोयटेश हमारे देश में चलता रहा तो यह ग्रामीण प्रव व्यवस्था एक दिन खत्म हो जाएगी। साथ ही धर्वन या नगरीय धर्य व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ग्रगर इस विनाश की तरफ जाने से टलना है तो अकरी

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव] है कि हम इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोवें। जैसे बम्बई की बात है वैसे ही दिल्ली की बात है। ग्रामी कोई भी सोसायटो बनाएं तो कोई बंगला तो नहीं वना सकता। नैं भी चाइता हं कि किसानों की मूर्मि घर बनाने के लिए नहीं लेनी चाहिए ग्रगर हम निवानों को भूमि लेते रहे तो फिर अपना मद्रास बढ़कर कत्या-कुमारी तक जायेगा श्रीर बम्बई बढकर हेदराबाद तक जाएगी । उसमें कोई सीमा नहीं रहेगी। उसमें हमें क्या करना है ? उपसमाध्यक्ष महोदय, जो पालिया-मेंद्रो डेत्रोगेशन गया या साउय कोरिया में उसमें ब्राते वक्त में सिगापुर में त्राया भ्रौर वहां जो नैने मध्ययन किया तो पता चला कि वहां पर सरकार ने एक कानुन बनाया है। उसके श्रंतर्गत कोई भी बिल्डिंग 16 स्टोरो से नीचे नहीं है और 80 परतेंट लोगों को चाहे कोई टैक्ती ड्राईवर हो, उनको उन्होंने घर दिए हैं। इस प्रकार उन्होंने जनीन के मसले से छ्टकारा पाया है। अपने देश में भी हमें यही करना है। अभी हम र उद्योग बढ़ रहे हैं हगरे सो रेंट ज का प्रोडक्शा बढ़ रहा है, ताबर जे रशा वढ रही है। अभी बहुत जरूरी है कि अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कार्पोरेशन्त्र या म्युनिसिपैलिटीज के लिमिट में अभी कोई नई भूमि नहीं देती चाहिए, मगर मल्टो स्टोरोड बिल्डिगें बनें, 4 टू 16 स्टोरोड बनाने के लिए सोवना चाहिए, इट इज पासिवल। ग्रागर ऐसे ही भूमि वांडते गए तो हमारी कृषि पूरी तरह से संकट में आ जाएगी।

उपतमाध्यक्ष (ओ मुस्तका बेत का सम) : जीज कन्कलूड ।

वो विठ्ठतर व मधिवराव जाहव :
ासमाध्यक्ष महोदय, अभी एक नई
गात, एक नई जात गहर में आगे
गई है और इसे विल्डर्स महते हैं।
वह विल्डर्स इतना काला धन कमाते
हैं कि एक फलेट जो वो लाख व्यए
में बनाते हैं, उसे दस-दस लाख तक
वानते हैं, जबकि उसकी करना-धरना
कुछ नहीं होता, मजदूर काम करते हैं,

फेक्टरी में से सारा सामान लाते हैं
श्रीर बिल्डिंग बनाते हैं। तो इन बिल्डिंग
पर भी कुछ सोलिंग होना चाहिए।
इन बिल्डिंग की भी श्राप हर सिटो में
चाहे बंबई हो या दिल्ली हो या कलकता
हो एक लिस्ट बनाइए, उनके इन्कमटैक्स रेस काजिए और देखिए कि वह
इन्कम-टैक्म भरते हैं या नहीं भरते हैं।
इन पर श्राप कुछ नोलिंग लगाइए,
कुछ लगाम लगाइए तो कुछ परिवर्तन
श्रा सकता है, श्रतुशासन श्रा सकता है।

उरसमाज्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमते रूरल सोलिंग, एग्रोकल्चर सोलिंग तो वडो स्टिक्ट बताई है। इसमें मेरा श्रोपोनियन यह है कि कानून तो बना डाला लेकिन उसका धमल धच्छो तरह से हम नहीं कर पाते। अगर कानुन का धमल भ्रच्छो तरह से कर पाते तो इतनो जातिने आज भी नहीं रहतीं। महाराष्ट् में यह समस्या बहत कम है क्यों के हमारे पास होल्डिंग बहत का हैं और जिस क्षेत्र में होस्डिंग थीं को मराठवाड़ा श्रीर विदर्भ में, वह पहले ही लोगों को बांट दो थी मगर बिहार है ग्रोर कोई स्टेट है वहां ग्रमी भी इतने बड़े-बड़े जातिंदार हैं जो कि कुते या बिल्लो के नाम से जारीन करते हैं श्रीर अने पास जानीन रखते हैं। तो मैंने उतका समर्थन नहीं किया। मगर ग्रा गेण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारी खेती पर सीलिंग क्वीं है जबिंक आपने बड़ो-बड़ी जायदाद पर सीलिंग नहीं रखी? उन पर सीलिंग क्यों? एक आदमी 25 स्टोरीज बिल्डिंग ग्रंपने पास रख सकता है, ग्राप जानते हैं उसकी कीमत क्या होगी? ग्रव श्रोबेराय शेरेटन 25 करोड़ रुपए का है भीर ताइवान 50 करोड़ को कीमत का होगा। ग्रव एक ग्रादमी हो या कंपनी हो, वह तो पचास-पचास, साठ-साठ करोड़, की संपत्ति इक्ट्ठी कर सकता है, मगर गरीब बेचारे कितात की अगर 18 एकड़ से ज्यादा जमीन होगा तो उस पर आप सीलिंग लगाते हैं। नै यह नहीं कहता कि यह सीलिय नहीं होनी चाहिए, नगर धरबन सीलिंग श्रीर करल सीलिंग, ग्रामीण श्रीर नगरीय सीलिंग में कोई मेल जोल होना चाहिए।

उपसभाष्यक्ष महोदय, हमें इसका संशोधन करना चाहिए कि एक ग्रादमी को, उसके भ्रीरत और दो-तोन बच्चों यानी पांच लोगों को फोमतो के लिए, उसके रहने के लिए कितनो जमीन को जरूरा है, उसे जनीत के कितना पानी चाहिए, उसको क्या-क्या समस्याएं हैं, वह ग्रानो चाहिएं। ग्रगर एक परिवार के लिए दो लाख की जनीन है तो नगरीय सीलिंग भी दो लाख को होनो चाहिए भ्रौर एक परिवार के लिए एक हो फ्लैंट होना चाहिए या एक ही घर होता चाहिए, दस-दस फ्लंट नहीं होने चाहिएं। मब में जिस क्षेत्र से जाता हूं, नांदे। मेरा गांव है, यह एक छोटा सा शहर है मीर उसको आबादो इस साय ढाई-तोन लाख हो गी है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, हम यह तो समझ सकते थे कि वहां कोई व्यापारो आकर जनीनें खरीहे भीर बेचे, मगर राजनोतिक लोग, सभी पार्टियों के लोग, मेरो पार्टी से लेकर आपोजोशन पार्टी तक के लोग जनीत का बंधा करने लगे हैं। यह लोग अलग-धलग कंपनो बनाकर 50-50, 60-60 एकड़ जमीन ले रहे हैं, कोई चेरिटेबल के नाम से, कोई एज्केशनल इंस्टोटयुशन

VICE-CHAIRMAN MOSTAFA BIN QUASEM): Please make it the last point. There are so many other speakers. You have already taken 33 minutes.

के नाम से भीर उसका बंधा कर रहे हैं।

थो विश्ठलराव मधिवराव जाधव: उपसमाध्यक्ष महोदय, घर बनवाने के लिए ज़नीन नहीं लेनी चाहिए, यह तो में कह चुका हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यावरण की समस्या है, उसके बारे में कुछ कहता चाहंगा श्रीर ग्रपना भाषण समाप्त करूंगा । ग्राप देखेंगे, हमारे जगेश देसाई जो जानते हैं कि बंबई में चेम्ब्र नाम का एक एरिया है, वह इतन धालों नालेंड है पार वहां इतना इंडस्ट्रोज हैं कि लोग कहते हैं चेम्बर गैस चेम्बर हो रहा है। वहां ग्रगर ग्राप देखें, वहां के लोगों की हेल्य, वहां के वायुमान को तो ग्राप को भी लगेगा, हमें तो शर्न लगती है कि वहां लोग जीते कैसे हैं? वहां इतना पर्यावरण हमने बुरा कर दिया है। मन्यवर, पर्यावरण, वृक्ष रोवण श्रीर फारेस्टरी की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है श्रोर इसके बारे में हमें गंभीरता से चितन करने की जरूरत है। तो मेरे मित्र देशन्ख जी ने जो यह प्रस्ताव लाया है, उसका में पूरा समर्थन करता हूं ग्रीर ग्रापके जरिए अपने परम मित्र दलवीर सिंह जी, जो यहां बैठे हैं, उनसे दरखास्त करता हं कि एक ऐसा संयुक्त विधेयक लाएं, जिसमें सारी वातें बाएं बीर हमारे देश को इस गम्भीर समस्या से छटकारा मिल जाए । इस समस्या का हम हल कर पाएं इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हं।

2.74

भो भ्रोम नकाश चौट ला (हरियाणा) : उपसभाष्यक्ष महोदय, मैं श्री शंकर राव नारायण राव देशम्ख के इस रेजोल्य्शन का समर्थन करता हूं। वैसे तो शहरी भिम और ग्रामीण भिम दोनों की हो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ग्रामीण भिम की कीमत उस रेसियों से नहीं बढ़ी जिस से शहरी भृष्टि की कीमत बढ़ी हैं। हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है ग्रीर इस देश के किसानों को, संस्कारों के कारण अपनी भिम से बड़ा लगाव है, बड़ा मोह है । इसीलिए किसान जमीन को अपनी धरती मां कहता है । लेकिन किसान की इस घरती को कौडियों के दाम पर खरीद लिया जाता है और विास के नाम पर थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बाद जहां किसान को दो रुपए ग्रीर चार रुपए प्रति गज के हिसाब से दाम मिलते हैं उसी जमीन को हजारों रुपए गज के हिंसाब से फिर बेचा जाता है। यह जमीन फिर किसान को दो सौ रुपए गज के भाव से उसे रिहायशी मकान के लिए दी जाती है। उसने उतनी ज्यादा कीमत वसूल की जाती है जितनी कि किसान को सारी जमीन की कीमत नहीं दी जाती। इस प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ किसान की सारी धरती को सरकार एक्वायर कर लती है । यह जमीन खरीदी तो इस नाम

।श्री श्रोम प्रकाश चौटाला]

पर जाती है कि गरीबों को आबाद किया जाएगा, बसाया जाएगा लेकिन वह गरीव को देने के बजाय अमीरों को दे दी जाती है। चाहे वह नोएडा की सैकड़ों एकड धरती किसी महेश योगी को दी जाए जैसाकि माननीय सदस्य विकल जी ने बताया और चाहे मोदीपुरम की जमीन हो जोकि किसान से कौड़ियों के भाव लेकर मोदी को सैकडों एकड की संख्या में दे दी जाती है ताकि उद्योग को बढ़ावा मिले भले ही िसान कमजोर हो।

मेरे सम्मानित साथी यादव साहब ने एक बात कही कि महात्मा गांधी जी ने चंपारन के सत्याग्रह को लेकर एक बात मही कि अगर किसान है तो कांग्रेस है। में अपने सम्मानित साथी विदाल साहव से सहमत हं कि गांधी जी के सपनों की कांग्रेस आरे गांधी जी के सपनों का भारत आज नहीं है। वह तो स्वीडिश वैंकों में चली गयी और इस धरती की सारी दौलत स्वी-डिश बैंको में जमा करा दी गयी। यह बात तब कही गई थी जब किसी ने व्यवधान किया या कि वह पैसा कहीं चला गया। यग बदल गया है । ज्ञाज मोहनदास करम चंद गांधी का युग नहीं है, राजीव गांधी का युग है। इसलिए किसान को लुटकर बढ़े-बड़े ग्रौद्योगिक घरानों की उसकी कीमत पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनरोध करना चाहंगा कि सरकार सही मायने में जिसान की मदद करे इसके लिए इस कान्न में संशोधन करना पडेगा । किसान को जो घरती खरीदी जाय उसको उसी रेसियो से पैसा दिया जाय। बिचीलियों द्वारा धरती के नाम पर सर-कार को बेइंतहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पांच लाख की धरती पांच हजार में खरीदी जाती है ताकि रजिस्ट्री कम की हो । उससे एक तरफ तो किसान की **ब्**कसान होता है कि उसकी जमीन को कीमत उसी हिसाब से कम हो जाती है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी भीर बढ़े-बढ़े प्रोपर्टी डीलर्स की तिजोरियों में ज्यादा पैसा चला जाता है ग्रीर सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुस्सान होता है क्योंकि शहरी भिम पर प्रभावी कानून लागू नहीं है । इस देश में दो किस्म के कानुन हैं। "सबै भनि गोपाल की।" इसे भी रूरल और अर्बन दो हिस्सों में बांट दिया गया है । जो किसान चौबीस घंटे कडा परिश्रम करके फसल तैयार करता है, आज वह धरती छोड़ने पर मजबर हो गया है। उसकी खेती की पैदावार से उसे मुनासिब दाम नह मिल रहे हैं। कर-कारखानों में जो चीज बनती है और रोजमर्रा इस्तेमाल में आती है, बड़े-बहे ग्रीद्योगिक घराने ग्राज सरकारी मंगीतरी से मिलवार, सरकार से मिलवार अपने कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम जब चाहे बढ़ा लते हैं। चाहे लोहा ो या सीमेंट हो, चीनी हो या कपड़ा हो, जरूरियाते जिन्दगी की जितनी चीजें हैं। खाद हो या कीड़े मारने वाली दबाइयां हों उन के दाम रातों रात वह जाते हैं ग्रीर किसानों की उपज का दाम बढाने का जब मौका झाता है तो वे दाम नहीं बढ़ते हैं। अभी कल्पनाथ जी और वीरेन्द्र वर्मा जी गन्ने के दाम बढाने की बात कर रहे थे । तो चाहे गन्ने का दाम वढाने की बात हो या चावल या गेहं या चना या दाल के दाम बढ़ाने की बात हो, उसमें सरकार ग्रानी फराखदिली दिखा कर एक या दो या तीन रूपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ा देती है, लेकिन जरूरियाते जिन्दगी की दूसरी चीजों के दाम यही सरकार 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ा देती है। यही प्रथा इस देश में प्रचलित है जिस के कारण किसान कमजोर होता चला जा रहा है ग्रौर गांव उजड़ते जा रहे हैं। जहां 1970 में शहरी बाबादी 19% थी वह बढ़कर 29 % हो गई है। जहां पहले देहातों की ग्राबादी 81 प्रति-शत थी वह ग्राज घट कर 71 प्रतिशत रह गयी है और गांव इसलिये उजडते जा रहे हैं कि शहरों का विकास होता जा रहा है। स्राज गांवों में सड़कें ट्टी हुई हैं। वहां स्कूल नहीं हैं। उन स्कलों पर छतें नहीं हैं। उनमें बैठने के लिये फर्श नहीं है। ब्लैक बोर्ड नहीं हैं । बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, कापियां नहीं हैं । धाज किसान की सेहत का ध्यान सरकार को नहीं है। वहां डाक्टर नहीं हैं, कंपाऊंडर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं ग्रीर इसीलिये गांव उजड़ते जा रहे हैं। गांव के लोगों की धरती खरीव ली जाती है और दिल्ली तो ग्रपने ग्रहोस-पहोस को ही खा गया । उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की 50, 50 मील की जमीन दिल्ली हड़पने में लगी हुई है और वहां गांवों का शहरीकरण किया जा रहा है और शहरों में भी दो किस्म की बात होती जा रही है। ग्रमीर लोगों के पास, जिन के पास साधन हैं उन को ग्रीर तरह की सुविधायें प्रदान की जाती हैं और दूसरी ओर झगी झोपड़ी वाले हैं जिन की बुरी हालत है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले एक साथी ने कहा था कि हरित कान्ति के नाम पर सारे देश के किसानों को उपज बढ़ाने का हीसला दिलाय। गया लेकिन शहरों में जब कावादी बढ़ जाती है तो उस में ग्रीन बेल्ट के जो प्लाट दिखाये जाते हैं उन को भी रिहायश के लिये वेच दिया जाता है। गांव के किसान की जमीन उन से ले ली जाती है और जिस किसान की धरती ली जाती है उस को उस के पुरे दाम भी नहीं दिये जाते । इस बात के जीते जागते सबत हैं। जिस किसान की जमीन एक-बायर की जाती है उस के लिये जब वह निचली घदालत में जाता है तो उसकी दो रुपये के हिसाब स खरीदी जाने वाली जमीन का मुझावजा बढ़ा कर उस की 20, 25 रुपये के हिसाब से दिलाया जाता है। जब वह हाईकोर्ट में जाता है तो उसका मुद्यावजा 30, 35 रुपये कर दिया जाता है श्रीर अगर वह उस के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां उस को 40, 45 या 50 रुपये गज के हिसाब से उस का दाम मिल जाता है । जिस जिस रेश्यो में वह ऊंचे कोर्ट में जाता है उस रेश्यो में उस का दाम उस को ज्यादा मिलता जायेगा । तो पहले ही हम ऐसा कान न क्यों महीं बनाते कि किसान को जो जमीन का मोह है वह पूरी तरह से खत्म हो भीर उस को अपनी जमीन का कायदे का दाम पहले ही मिल जाय। लेकिन कानन ही ऐसे बनाये जाते हैं कि जिससे गांव का ब्राइमी कमजोर हो रहा है और इस नजरिये से मैं

अर्ज करना चाहता हं कि जहां किसानों को उन से ली गयी जमीन में से ही दो सी गज का प्लाट दिया जाता है तो उस की कीमत थोड़े से विकास के नाम पर खर्च होता है उस की वजह से हजारों रुपया बढ़ा कर ली जाती है। कम से कम यह स्विधा तो प्रदान की जिए कि जिस भाव से उसकी जमीन खरीदी जाए कम से कम उसे रियायती दाम पर प्लाट जरूर मिलना चाहिए। ऐसान करना भी उसके साथ एक प्रकार से अन्याय है। घाज किसान के ऊपर एक सीलिंग लगी हुई है कि किसान 17 एकड से ज्यादा घरती नहीं रख सकता लेकिन उसके मकावले दिल्ली में फामें हाउसेज के नाम पर 300-400 एकड जपीन लोग हथिया कर बैठे हए हैं । उनके साथ इस प्रकार की रियायत बयों है ? दो किस्म का कानून हर स्तर पर हम को दिखाई देता है । इसलिए में आपसे अन्रोध करूंगा कि इस प्रकार के काननों में संशोधन किया जाए ताकि इस विप्रधान देश के किसान की पूरी तरह से लटाई न हो सके।

भिम के लेन-देन में भी व्यापक भ्रष्टाचार है । इसी सन्दर्भ में एक ग्रीर अर्ज करना चाहंगा कि 1976 के नगर भिम अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि ग्रधिकतम सीमा से बचने के लिए लोग किसी भी प्रकार की व्यवस्था न कर सकें। वर्तमान ग्राधिनियम, 1976 का कोई लाभ नहीं है क्योंकि लोगों ने फर्जी गृह निर्माण के नाम पर सहकारी समितियां बना कर के थोड़ी जमीन पर ज्यादा पैसा कमाने की कुचेग्टा की है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसानों से इस प्रकार की जमीन लेकर ग्राप शिक्षा संस्थाओं को दीजिए या सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दीजिए । कुछ लोगों ने इस प्रकार का धंघा बना लिया कि सस्ती जमीन किसानों से खरीद कर कुछ लोग म्रापस में मिल जाते हैं ग्रीर सहकारी समितियों के नाम पर दूसरे लोगों को ल्टते हैं । इस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।

हमारा यह देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यह ग्रयंव्यवस्था की रीढ़ भी

[ओ स्राम प्रमाण चीटल।

है पीर निधंतों की सहायता के पर उसका ग्रधिग्रहण किया जा रहा है। किसान की सारी की सारी जमीन सस्ते दाम पर लेकर महंगे दाम पर बेची जा रही है। किसान को जो उसकी धरती का पैसा दिया जाता है वह 1/4 हिस्सा पैसा तो नकद दिया जाता है और 3/4 हिस्सा उसको बाद में देने की गर्त रखा जाती है । यह पैसा उसको 20 साल में मामली ब्याज लगाकार देने की बात की जाती है। मेरा यह इहना है कि उस किस न का ग्रगर 3/4 हिस्सा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाये या इन्दिरा गांधी बांड के नाम पर ब्राज ग्रगर एक हजार रुपया जमा कराया जाए तो 16 साल के बाद उ की 16 हजार रुपये मिलेंगे लेकिन किसान के पैसे पर केवल मात्र मा 🗐 ब्याज दिया जाता है। यह उसके साथ यन्ताय है। य ज जिस भाव से उसकी जमीन खरीदी गई उसका 3/4 हिस्सा सरकार के पास जमा रखा गया 20 स ल तक तो उसको थोडा सा ब्याज मिलेगा । हमारा यह कहना है कि 20 साल के बाद जब उसे पैसे मिले तो उस वक्त के भाव से मिलना चाहिये ताकि किसान को कम से कम यह महसस हो सके कि उसे मौजदा भाव के मताबिक पैसे मिलें। सरकार की गलत नीतियों के कारण एवं विकास की प्राथमिकताओं के गलत चयन के कारण लोग गांव से शहरों में भाग रहे हैं । गांव उजडते जा रहे हैं। आज हम जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुँ हैं। 90 परसेंट गांव के लोगों से चुन कर ग्राने के बाद भी हम गांव में बसना नहीं चाहते । गांव में रहने वाला शिक्षक, गांव में रहने वाला डाक्टर भी गांव में बसना नहीं चाहता । जब गांव के शिक्षित लोग गांत छोड़कर शहरों में आ जायेंगे तो लाजिमी बात है कि गांव में बसने वाले मोची, गांव में बसने वाले कुम्हार, गांव में बसने वाले लहार, गांव में बसने बाले तरबान लोग जो है उनको रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा । उस बजह से भी गांव उजडता चला जाएगा और महर बढ़ता जायेगा । इसलिए में ज्ञाप से जनरोध करूंगा कि इस कानन में इस प्रकार से संबोधन किया जाए ताकि

गांव और शहर में आपसी सन्तुलन कायम रह सके। गांव उजड़े नहीं। गांव का पैसा सिस्टामेटिक तरीके से मुक्की भर घरानों के हाथ में न जार । इस प्रकार से संशोधन किया जाए यह मैं कहना चाहता है।

में आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने
मुझे समय दिया । मैं देशमुख जी का भी
धन्यवाद करूंगा कि किसान मारू कांग्रेस
पार्टी में रहकर भी एक आदमी तो ऐसा
निकला जो किसान के हित में बात कर
रहा है । मैं यह अनुरोध करूंगा कि
किसान की भलाई को ध्यान में रखते हुए
किसान के हम प्रतिनिधि हैं, किसान की
राय से हम यहां पर आये हैं, हमारा देश
कृषि प्रधान देश है, यह देश गांधी जी के
सपनों का भारत बन सके, इसके लिए इस
कानून में संशोधन करें, इससे किसान
खुशह ल हो सकेगा । आपका बहुत-बहुत
धन्यवाद ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairraan, I would like to go into the background of this Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, why it was enacted. It was the Congress Party which. had decided that if the land is to be given for the purpose of housing for the weaker sections, the speculation in land should completely vanish and for this purpose there was only one way, that is, there ^ should ceiling on the holding of the urban land. Madam Prime Minister Indiraji in 1976 brought this Act. At that time, in. the beginning, people like me, like Shri Kalpnath Rai and others were very jubi-liant because we wanted that there should be ceiling on the urban land. But what has happened in the last 10 or 11 years? I will come to that later on, but I completely agree with Mr. Deshaiukh about the Central theme of his Resolution and that is, that the farmer should not be put to any difficulty. After all, farmers treat land as mother. They get the livelihood from land. Now within this Act come-two or three types of land. Even the ,, agricultural land which is 4-5 kilometres of the boundary of the urban area comes within this Act. Here I would like the Government to consider, not only consider but to accept, the proposition that as

282

as the land is cultivated by the farmer personally or by his family members because he may be old and nis sons may cultivate the land, that land should not be taken within this Act. We do not want the farmers to be put to difficulties and the industrialists benefit from that. I come from a similar area. I was elected from Santa Cruz constituency where there are thousands and thousands of hut dwellers. Among them are staying professors, teachers, industrial workers and pesons like me because we cannot get houses in Bombay without paying, what you call, pugri. So, the only weapon was that urban land should be taken in the hands of the Government and houses should be built. But what has happened? Sir, at that time I was also the Minister when this Act was enacted. We had prepared a scheme, but there were many lacunae in the Act. I do not know the reasons but till today that Act has not been implemented in the manner in which it should have been done. Why do we think like that? The reason is that we have to acquire surplus land and that surplus land must vest with the Government and if the Housing Boards or any o'her agencies are constructing houses, thev should construct small tenements, and they must be for the common man for those who can afford that price. That is why, whatever scheme the Government mieht make in this behalf, no tenement will be for more than 260 or 280 square feet-consisting of one room, one toilet and one small kitchen. Then only this problem can be solved. But in the name of building cooperative flats, four to five bed rooms are being built. This was not the purpose of this Act. That is why I would earnestly request the Government that whatever land is surplus must be acquired. And what have you to pay? The maximum that you have to pay is Rs. 2 lakh only. In the city of Bombay, you have to pay Rs. 10 per square metre and if I have got 2 lakh metre land, then I will not get Rs. 20 lakhs; I will get only Rs. 2 1akh. That also, as Mr. Deshmukh has pointed out, one-fourth is to be given in cash and the balance will be paid throush bonds within 20 years. That was • so stipulated because at that time we could not find finances. Even that we have not taken advantage of Govern-

Resolution re. Amdt.t

ment must acquire all the surplus land and build flats by themselves or through Housing Boards. If that is not possible, then we, are going to have the National Housing Bank. That Bank can give finances for this purpose. Today I read a report in the Times of India that the Life Insurance Corporation has decided to give Rs. 100 crores to the Housing Boards for the purpose of housing and Rs. 120 crores to housing financial institutions. So Rs. 220 crores are going to be given by the LIC. But I am very sorry to point out that the nationalised banks are to give only half a per cent of the total lending for housing. This has to be increased. We require funds for the purpose of housing, for people who can afford small tenements—i.e. industrial employees gumashtas and others who have to be provided with housing. Then only this problem can be solved; not otherwise. But under the guise of section 21, corruption is going on. Why don't you want to release land under section 21? That is the source of corruption. They give the land. All right, a cooperative soe'ety is formed. But it is not those real, genuine cooperative societies, but the builders who in the name of society get this land and then sell the flats to others at a very high cost. I will give you one example. In 1978, the flat which I purchased in Bom-' bay was for Rs. 1,20,000 for 1000 sq. ft. In eight years, it has gone up eight times. What is the cost of construction? Even if it is a very good flat, and a good quality material is used, the cost of construction will not be more than Rs. 200 per sq. ft. But it is sold at Rs. 2000 sq. ft. Are we going to give this kind of profit to the builders? Was this the inten'ion when we enacted this law? Then why this is not being implemented? I want a reply from the Government. What action have they taken to implement this Act In the manner in which is should have been implemented? Nobody in this House wants that this Act should be set aside, but what we want is that this Act must be given more teeth, by which you can implement it and give houses for the common man. In Bombay 50 lakh people are staying in slums. Are we ?oins to provide houses for them or not? If they have to buy a tenement of 200 sq.ft., they

[Shri Jagesh Desai]

cannot get it for less than Rs. 2 lakh. Can they afford it? What was the purpose of the Act? It was to give housing for those people. But that is not being done. And that is why again schemes should be made by the Government, as I had told last time where finance is not available, those who are owning that land, should be asked to build houses within two or three years. You give a specification that 80 per cent of the construction should be of 60 sq. ft. tenements, and the remaining 20 per cent they can do according to their choice and they can sell that 20 per cent at whatever price they want. But this 80 per cent should be given to the Government. For that purpose, the. land cost should be taken only at Rs. 10 per sq. metre, and the remaining cost should be the cost of construction. They should hand them over to the Government. Lots can be drawn. They can choose which people are entitled for that. Accordingly, they should allot. Then only this problem can be solved, not otherwise. That is why, the Government must prepare a scheme from now on. I felt that the Government was going in the right direction. But, still, Government has not done. Many State Governments-i I would not name them—in the name of section 21, acquired village lands. The builders have built houses, and they have earned crores of rupees. That is where you have to come very heavily. See that either the State Governments should build or the Housing Boards should build. If you all cannot do it, you ask the LIC to build. They have got funds. They want to invest.

बहत (व्यवधान) पास मार ग क्योंकि उनक करें जाीन क्या होती नहीं वे लोग। भ्राज तक उनको कितनी जीन दी है ग्राप लोगों ने। यह कहना चाहता कि जब तक इस कानन को ग्राप ठीक ढंग से एप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको जनीत मिलते वाली नहीं है, हाउसिंग बोर्ड वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि सब जीन अपने कब्जे में लेनी चाहिए और हार्जीसग

कहना चाहिए कि ग्रापको इस प्रकार के मकान बनाने पहेंगे, ग्रगर वे नहीं बनाते हैं तो दूसरी संस्थाग्रों के जरिए ये मकान बनाने पहेंगे तभी यह सकता है। फार्मर्स के लिए जैसा मैंने बताया कि ग्रगर वहां एन 0 ए 0 जाता है तो हम जो मद्यावजा देते उसके बारे में भी सोचना पडेगा। उनको 5 रूपए देने से काम नहीं होने वाला है । उनको इस तरह से देना चाहिये ताकि वे अपनी जिंदगी बसर कर सर्के । इसके अनुसार ही उन्हें पैसा मिलेगा तभी यह हो सकता है। ग्राखिर में हमें यह भी देखना है कि जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर ऐसी कोई भ्राफत तो नहीं है कि वे खत्म हो जायें, उनके जीवन का जो सहारा है वह भी जाये ।

इतना कह कर मैं यह भी कहना चाहंगा कि अगर इस कानन में जो तकलीफें हैं उनको दूर करके इस सब्र में नहीं ला सकते हैं तो अगले सन्न में ऐसा कानुन लायें जिसमें पुराने कानून की तकलीकें न हों ताकि जो जमीन है वह सरकार के हथ में भ्राये और उसका अच्छी तरस से हम उपयोग कर सकें ताकि हमारी हाउसिंग की जो समस्या है उसको हम हल कर सकें । इतना कहकर मैं देशमख जी को धन्यवाद देता हं कि वे इतना भ्रच्छा प्रस्ताव यहां पर लाये और जै। मैंने कहा कि काश्तकार को कोई तकलीफ न हो और शहरी विस्तार में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे जो समाजवाद की दिष्ट है उसको सामने रखकर अगर हम कदम उठायेंगे तभी यह प्रश्न हल हो सकता है। इतना कहकर मैं ग्रापको धन्यवाद करता हं।

श्री सत्यक्षकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश):
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं ग्रपने विद्वान
सदस्य श्री देशमुख जी को वधाई देना
चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रस्ताव उन्होंने
रखा है जिहकी ग्राज बहुत ग्रावश्यकता
थी । मान्यवर, यह जो वर्तमान विधेयक
है नगर भूमि (ग्रधिकतम सीमा ग्रीर
विनियमन) ग्रिधिनियम, 1976, जैसा ि

सदन को विदित है कि यह 1976 में पारित किया गया था । उस समय इस देश में श्रापातकाल स्थिति लाग् थी स्रीर बहुत से सदस्य उन दिनों इमरजेंसी के कारण जेल में थे, राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद थे इसिलए वे विधेयक के वाद-विवाद में भाग नहीं ले पाये, शायद इसलिए भी इस विधेयक में बहुत खामियां रह गयीं । इसलिए इनके संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है और इसी धोर इस प्रस्ताव के जरिए ध्यान श्राकवित किया गया है।

प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ बातें, जैसे भूमि के लेत-देन स्रोर सौदों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है ब्रीर इस ब्रंबिनियम के कारण फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गयी और भिम को कालाबाजारी और फर्जीलेन देन में भी विद्धि हुई है। इसके म्रतिरिक्त कृषि जो भारतीय व्यवस्था की मूल ऋधार है, शहरी निर्वनों की सहायता[ँ] करने के बहाने पूरी तरह चौनट हो रही है। यह बात, ग्राज जो शुलत है, उसके ग्राप्तार विलक्ल सही और सत्य है ।

दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को इस सदन के तारांकित प्रश्न संख्या 109 में जो राष्ट्रीय शहरीकरण स्रायोग बनाया गया है, जिसने इस संबंध में भी ऋपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए, उसमें जो उन्होंने सिफारिशें को हैं, उसमें एक सिफारिश यह भी थी कि सारी फालनू खाली भूमि को शहरी विकास के लिए और विशेषकर **प्रावास के लिए रिलीज की जानी चाहिये,** जिसमें मध्यम तथा निम्न ग्राय वर्ग तथा **प्रार्थिक द्ष्टि से कमजोर वर्गों के ग्रावास** पर विशेष बल दिया जाए ।

मान्यवर, यह जो उनकी सिफारिश है, इस पर भी सरकार विचार करेगी ही, लेकिन पिछले वर्षों में जो भ्रनुभव रहा है शहरों की जो खाली भूमि है, उसको लेने के लिए--इसकी सबसे बड़ी विपदा और विष्त किसानों के ऊपर ग्रारड़ी है क्योंकि जो ब्रधिकतम जोत है, उसके श्रनुसार भूमि ली जाती है भ्रौर किसान को उसके

लिए जो मुग्रावजा है, वह न हीं मिलता है और इसमें इस बात की भी व्यवस्था रहती है कि वहां जो व्यावसायिक केन्द्र बनेंगे, उसमें भी जिसकी भूमि ली जाएगी, उसका भी उसमें प्राथमिकेता दा जाएगी ।

0/ Urban Land Act, 1976

इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिं कि वहां पर कोई फैक्टरी बनती है या व्यावसाधिक संस्थार्थे बनती हैं, तो वहां पर दुंकान करने के लिए भी किसान को भूमि दी जाएगी । लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हं कि जब यह भिम लो गई है दिल्लो विकास प्राधिकरण की भ्रोर से, मल्यवर, तो एक तो सन् 1960 से कुछ जगहों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं--जैसे र्गलकागद, जहां पर कि नेहरू ष्लेस बना हमा है, यहां पर साठ पैते प्रति स्कुपर यार्ड भूमिलो गई यो, दिल्लो विहास प्राधिकरण द्वारा, काल रूजी, जहां पर ऋाज कालकाजी जिला बसा हक्रा है, यहां पर ऋड़ाई राथे प्रति स्क्रूबर यार्ड के हिपाब से भिम लो गई थी । इसी तरह महरीलो, जहीं पर ब्राज बंसत कृत है, वर्श केवल एक राग बीस पैसे प्रति स्क्रुवर यार्ड पर जनीन लो गई थी। उसो तरीके से लग्डो भराय, जिस बस्ती को म्राज सक्ति कहते हैं, वहां पांच हाये प्रति स्कुपर यार्ड के हिसाब से भूमि लो गई थी। इसी तर के से पालम गांव में, 4 ग्रगस्त 1956 को, भाग से केन्न सन्ना साल पहले पालम गांव में जो भिम लो गई वह तीन कार्य प्रति स्कूपर पांडे के हिमाद्य से लो गई थी और यह मारी भूमि जो लो गई थी, इसते हरोब-हरोब दो लाख ग्रामवासी प्रभावित हुए हैं, लेकिं। इसके लिए जो बैहल्क्ष्य प्लाट दिये गये हैं, विसाध कि कानून है, केंद्रल 829 ग्रामदासियों की ही वैक्तित्वत प्लाट दिये गये हैं जब कि इससे हरीब-हरीब दो लाख लोग प्रभावित हर्हैं, जब से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस काम को शुरू किया है।

इसो सदन में ऋभी हैं।ल ही में बताया गया कि किस तरीके से--यह मान्यवर, इसी सदन का तारांकित प्रश्न संख्या 216, श्री बीर भद प्रताय सिंह जी का या, 20 नवम्बर को उन्होंने यह पूछा था कि जनीन

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

की कीमतों में विस्तप्रकार से वृद्धि हो रही है, जो किसानों से भूमि लीजी रही है ?

इसना एत्तर दिया गया है कि वर्ष 1970 से पूर्व ग्रावासी भ्रष्टों के भृमि मूल्यों में पचास से दो सी स्पेय तक प्रति वर्ग मीटर में भिन्नता थी । चाल वर्ष के प्रारम्भ में, यानी इस वर्ष ग्रावासी भृमि के लिए निर्धारित बाजार दरें 858 रूपमें से 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है— ग्राज की जो होलत है ।

तो, मान्यवर, मुझे यह बहना है कि जब विसान की जमीन आप लेते हैं तीन रुपये, विसान की उमीन लेते हैं डेड रुपये में, विसान की जमीन ले रहे हैं छह रुपये में और दिल्ली विवास प्राधिकरण विसान की जमीन को लने के बाद पांच इजार से दस त्जार रुपये प्रति मीटर के हिसाब २ बेचता है, पर विसान को उसका बया लाभ मिलता है ? विसान को विल्कल समझियं कि दिवधा का शिकार हो गया है। न तो उसको वैवरिपत प्लाट मिलता है--यदि वहां पर कोई व्यायसाधिक केन्द्र बनता है, तो वहां पर छसे कोई द्वान नहीं मिलती है और न वहीं विसान के लड़के को कोई नौवरी मिलती है भीर मद्यावजा भी विस तर के से देते हैं, इसवा भी मैं छ।पको उदाहरण देना चारता हं। यानी विस्त प्रवार से विक्तनी देर महावजे में होती है ? यहां पर गांव था हमायंपर ३ सितम्बर, 1957 को मोटिफिनेशन हुआ सेक्शन 4 में 10 जनवरी 1961 को नोटिपियेशन हका सेवशन 6 में और खवाई हुआ 10 जनवरी 1961 को एड शनल डिरिट्क्ट एज ने बहां पर ग्रवार्ड विया 18-10-75 को भार हाई कोर्ट ने दिया 12 दिसम्बर 1979 को यानी 22 साल हो गए। इसी प्रवार मान्यवर, केवल एक स्नीर उदाहरण दंगा । यहां एव मोहल्ला है मजिस्द-मोठ, 24 मई 1961 को उसके लिए विज्ञिप्ति हुई 17 जन 1961 को विज्ञप्ति **ह**ई सेक्श[:] 6 में और धवाई दिया गया 19 फरवरी, 1962 की एडीशनल हिस्टिवट जज ने अवार्ड दिया 27 जलाई,

1971 को और हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है जो अवार्ड का पैसा है वह इन विसानों को आज तक नहीं मिला। तो जो देशमख जी ने धपने इस प्रस्ताव को रखा है इसमें यह उनकी भावना है वह तो है ही लेबिन जो शस्त्रविव स्थिति है उसका भी प्रांवलन विया है इसकी भी चर्चा की सेवशन 20 है जिसमें वि मविस प्रदान की जाती है, मान्यवर इसमें जो वमीणन बैठा था उसने भी इस बात की रिपोर्ट दी है कि सेक्शन 20 में राज्य सरवारी की बहुत अधिकार दिए गए हैं। उसमें यह भी है कि द्वागर विसी को झनडय हार्डशिप हो या पव्लिक इस्टरेस्ट में वह छट दे सवती है। मान्यवर, इसवा वहत दुरुषोग हो यहा है । इतना दुरुपयोग हो यहा है कि कल्पना नहीं की जा सबती। प्रत्येव र ज्या में दुरु योग हो रहा है और इसमें वरोड-वरोड रूपये घर के रूप में खाए जा पहे हैं क्योंकि आपने इतना विवेव वे दिया है कि उसका वे दुरुपयोग कर सकते हैं। इ सका च्दाहरण देना चाहता हं गाविधावाद विवास प्राधिवरण जीव हीव एव के पूर्व स्पाध्यक्ष के आवास पर छ।पा दिल्ली में 20 नवस्वर को पड़ा । जी० डी० ए० गाउँदाबाद डिवेलपमेंट इथान्टी है, गारियाहाद विकास प्राधिवरण के पूर्व स्पाध्यक्ष धमेन्द्र देव के आवास पर छ।पा, हेह वर ह की अवैध सम्पत्ति बरामद हुई । देसाई जी घरा सनिए, डेढ़ वरोड रुपये की सम्पत्ति दरासद हई दो -दिन पहले विरिष्ठ आई० ए० एस० अधिवारी धर्मेन्द देव मिश्रा के दिल्ली और ग्रमेठी स्थित ब्रावास पर सी० बी० द्वाई० के एक विशेष दस्ते ने छ।पा मारवार लगभग डेढ वरोड की ग्रवैध सम्पति तथा भारी माला में संदिग्ध दस्तावेज बरामद विए हैं। सी० बी० आई० के सत्तों का वहना है कि श्री देव के बैंक लावरों और खातों की छान-र्बान ग्रावास पर तलागी के दौरान डेढ वरोड रपए की अवैध सभ्पति बरामद हुई है जिसमें वाफी सामान विदेश से ग्राया है। यह तो मैं केवल एक उदाहरण देरहा 夏日

श्री शाक्तिस्थामी (ब्लर प्रदेश): यह रवम दल कर इही चुकी है। दसः करोड़। श्री सस्य प्रकाश मालवीय : नहीं-नहीं जो उसमें छपा हैं। ...(इवधान)

श्री शान्ति त्यामी: अव दस करोड़ हो चुका है। ...(ब्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: जो माननीय श्रान्ति त्यागी जी कह रहे हैं यह डेढ़ करोड़ तो कम छपा है, यह दस करोड़ होगा ...(ब्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : यह बहुत बड़ी बेईमानी हैं। ... (श्ववधान)

श्री सत्य प्रकाश मन्तवीय : उसको ग्राप जेल भिजवाइय । ग्राई० ए० एस० सर्विस का ग्रधिकारी है उसको ग्राप जेल भिजवाइये। यह मैंने केवल एक नाम दिया है। राष्ट्रीय ग्रायोग ने सिफरिश की है, सरकार के पास प्रतिवेदन दिया है उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि जो सैक्शन 20 है इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेवक की जो मंशा थी वह सैं₹शन 20 के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। तीसरी बात की ग्रोर ध्यान ग्राक्षित करना चाहता हं इसमें जो इस बात का प्रावधान है कि जो खाली पड़ी हुई भूमि है उसको लिया जाएगा और ले करके ग्रावासीय विकास किया जाएगा या व्यवसायिक केन्द्र वहां पर बनाए जायोंगे। इससे मान्यवर जो स्लम हैं उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। बम्बई में ही जहां-रुहा जाता है कुछ वर्ष पूर्व चार लाख लोग स्लम में रहते वाले थे तो वहां झगी-झोंपड़ी की सख्या 40 लाख हो गई है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। जब स्लम बस्तियों में जाकर लोग रहते हैं तो उनके विकास की ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न वहां पर प्रकाश है, न शौचालय हैं, न लोगों को पीने का वानी मिलता है न पानी की निकासी हैं। इस स्रोर भी ध्यान देना चाहिए।

बहुत दिन पहले जब इस देश के प्रधान मंत्री नेहरू जी जीवित थे वह कानपुर गए। तब हैलीकाप्टर से प्रधानमंत्री लोग ही जाया करते थे। जब जवाहर लाल जी प्रधानमंत्री थे तो बराबर कानपूर-इलाहाबाद सड़कों पर कार से जाया करते थे। मान्यवर, जब एक बार कानपुर जा रहे थे तो कहीं उन्हें स्लम-बस्ती दिखाई दी । उन्होंने कहा-इस स्लम बस्ती को खत्म कर दो। उसके पीछे जवाहर लाल जी की नियत यह यी कि स्लम बस्ती इस देश में नहीं रहनी चाहिएं क्योंकि स्लम-बस्ती में जो लोग रहते हैं उनको जो न्यूनतम नागरिक स्विधाएं हैं वे प्राप्त नहीं होती हैं। इसी नियत से जवाहर लाल जी ने कहा-स्लम-बस्ती खत्म होनी चाहिए। जवाहर लाल जी की सन् 1964 में मृत्य हो गयी, यह कोई मेरा ध्याल पड़ता है सन् 1958 या 1960 के ग्रासपास की बात है। लेकिन तब से लेकर स्लम-बस्ती का बराबर विकास हो रहा है। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के निवास के पास भी लोग झग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि इस ग्रोर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ग्रीर देखना चाहिए कि यह स्लग-बस्ती क्यों बन रही हैं, इनका विकास क्यों हो रहा है? गांव की जमीनें ग्राप ले रहे हैं, गांव के खेत आप ले रहे हैं और लेकर वहां विकास करना चाहते हैं कि ग्रावासीय मकान बनेंगे और इसका नतीजा है कि यह झागी-झोंपड़ी वन रहीं हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यहां पर भी ग्रावासीय कालोनियां बनी हैं, जो इसके द्यासपास के गांव रह जाते हैं, वहां पर एक ग्राम विकास बोर्ड बनना चाहिए। सरकार को एक ग्राम विकास बोर्ड बनाना चाहिए । जिस तरह से हाऊसिंग बोर्ड बनाकर ग्राप शहरों का विकास करते हैं, शहरों की आवास कालोनी का विकास करते है, उसी तरह ग्राम विकास बोर्ड द्वारा गांव के लोगों को सुविधा देनी चाहिए: गांव का विकास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशमुख जी के विधेयक का समर्थन करता हूं ग्रीर मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं दलवीर सिंह

श्री सत्य प्रकाण मालवीय] जी, उनसे निवेदन करता हं, वैसे इनक[ा] विभाग इस विषय पर विचार कर रहा है क्योंकि विभाग स्वयं एक प्रारूप बनाकर रखे है कि इसमें किस-किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, चुंकि विभाग विचार कर रहा है इसलिए मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि देशम्ख जी का जो संकल्प है इसको स्वीकार कर लिया जाये, ग्रगर स्वीकार करने में कोई कठिनाई है तो कम से कम जब इस अधिनियम में ग्राप संशोबन करने जा रहे हैं तो जो भावनाएं देशमख जी की हैं ग्रोर सारे सदन की हैं, उनका ख्याल करके उस विधेयक में संशोधन के लिए आपको विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री भंबर लाल पंवार (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक जब सेंट्रल हाल में हुई श्री और नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 के संबंध में जब सांसदों के विचार मांगे गए थे, उस समय मैंने जब निवेदन किया था तो देशमुख जी ने उस पाइंट को बहुत ही सराहा था और मैं सोचता हूं कि उनके दिल में बहुत पहले समय से कसक थी इस संबंध में कि यह अधिनियम जो 1976 में पारित हुआ, उसमें काफी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की बहुत ही आवश्यकता है।

[उपसमाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पोठासीन हुए ।]

उ सभाध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन् 1885 में बनकर देश को नेतृत्व देकर महात्मा गांधी की अगुवाई में, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल से लेकर अब तक देश के विकास के लिए कांग्रेसी मूलभूत नीति। के अंतर्गत गरीबों को उठाने के लिए, गरीबी रेखा से लोगों को उठाने के लिए, गरीबी रेखा से लोगों को उठार लाने के लिए जो सतत् प्रयत्न करती रही, उसी के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री नेहरू जी के पश्चान् सन् 1966 में इन्दिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब भी कांग्रेस की उन मूलभूत नीतियों के अंतर्गत स्था में चहुमुखी विकास के लिए कार्यंक्रम

लाए गए। सन् 1969 जुलाई में जब बक नेशनलाइजेशन हम्रा, तत्पश्चात् सितंबर, 1970 में प्रिविपर्स खत्म किए श्रौर दिसम्बर, 1971 में बांगला देश की लड़ाई में भारत को जो गरिमा प्राप्त हुई माननीय इंदिरा जी के नेतत्व में उनके मन में गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों को सारी सुविधाएं महैया कराने के लिए जो तड़प थी, कसक थी उसी के ग्रंतर्गत यह 1976 का ग्रध-नियम लाया गया। उस 1976 के अधि-नियम में जो 2 फरवरी, 1976 को लोकसभा में पेश हुन्ना, जिसकी चर्चा 5 फरवरी, 1976 में इस राज्य सभा में हुई उसमें जो भावना इस सदन में माननीय सदस्यों की रही वही भावना उस समय भी थी। लोक सभा में इस बिल के पास होने तक 140 संशोधन उस समय पेश हुए थे, परन्तु हमें पार्टी के उददेश्यों के हिसाब से जोकि कांग्रस पार्टी ने एक ग्रपनी घोषणा के माध्यम से कहा था कि हर गरीब को एक मकान म हैया कराया जाये इसलिए जो बड-बडे धनाडय थे जिनके कि पास इतनी जमीन थी उनको ग्रगर नियंत्रित नहीं किया जाता तो उस समय से अब तक जो प्राप्तियां हो सकी हैं वह भी नहीं हो पातीं । इस सम्बंध में नेशनल कमीशन ग्रान ग्रर्बनाइजेशन की रिपोर्ट सरकार के पास ग्रायी है। उससे इस ग्रधिनियम के कारण जो जमीन एक्वायर की गयी है वह भू म्राउट द कंट्री 14588.64 हैक्टेयर है और इसमें से ग्रगर देखें कि वास्तविक रूप में सरकार का कब्जा कितनी जमीन पर ग्राया तो वह फिगर सिर्फ 3851.83 एकड़ याता है। तो सन् 1976 में जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया था उसको देखते हए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वास्तव में इस बिल में इतनी भारी कमियां है जिन्हें कि हमें शीघातिशीघ्र दर करने की ब्रावश्यकता है। इसके बगैर जिस मंशा से इंदिरा जी इस बिल को लेकर आयी थीं वह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। में सोचता हूं कि मंत्री जी ने जैसाकि लोक सभा में विश्वास दिलाया है, इस विल को एक नये रूप में शीझ ही लाने में देरी नहीं करेंगे।

इसके साथ ही मैं अन्य माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत है कि इस एक्ट द्वारा जो भी कियान्वयन किया गया है इस धारा 20 और 21 का उससे इतनी घसखोरी देश में बढ़ी है कि जैसा अभी मालवीय जी ने बताया कि एक अधिकारी के कब्जे से करोड़ों की संपत्ति निकली है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दस करोड की ।

श्री शंवर लाल पंचार : इस प्रकार से जो हर स्टेट में ग्रधिकारी कोम्पीटेन्ट ग्रथारिटी के रूप में काम कर रहे हैं उनका जायजा लिया जाये तो सारी एक रिपोर्ट सामने आ जायेगी। इन आंकडों से भी पता चलता है कि धारा 20 ग्रीर 21 के ग्रंतर्गत जो जमीन ग्रावाप्त की गयी है उसमें से 43863.50 हैक्टेयर भमि को एक्जंप्ट कर दिया गया है। तो उस एक्जेंग्ट की गयी भूमि के कारण क्या फायदा मिला । क्या उस एक्जेंप्ट की गयी भिम में किसी गरीब मजदर या . किसान का अपना सिर ढंकने के लिए एक छोटा मकान वन पाया है? धारा 21 में बताये अनुसार 80 मीटर की जमीन पर उनको मकान मुहैया कराना है। माननीय मंत्री जी सदन को इस वात से भी ग्रवगत करायें कि एक्जेंग्ट की हुई भूमि से किलने गरीब लोगों को कितने मकान उपलब्ध कराये गये हैं। मैं समझता हं कि जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया कि सारी वेनामी कोआपरेटिव सोसा-इटीज एक किसी इंडिविजयल की होती हैं। वही उन का मालिक होता है ग्रीर दसरे दूसरे संबंधियों के नाम वह दे देता है कोग्रापरेटिव बना कर ऐसे ही लोग इन जमीनों को एक्जेप्ट करा रहे हैं ग्रीर स्वयं के हित के लिए मकान बना रहे हैं । इससे लाखों रुपया उनको प्राप्त होता है और उस गरीब व्यक्ति को उस का कोई फायदा नहीं होता।

इस बिल की मंशा थी कि जो भूमि एक्वायर की जाये उसके कंस्ट्रक्शन को रेगुलट कर दिया जाये थार एक जगह भूमि का कंसट्रेशन न रह पाये और इस क्षेत्र में प्राफिटियरिंग और स्पेकुलेशन की

सारी वातें समाप्त हो जायें ग्रौर जमीन का इक्वेल डिस्ट्ब्यमन हो जाये। इसी मंशा से 1976 में यह बिल लाया गया था । यह मंशा विलक्त ही पूरी नहीं हो पायी है और इसके साथ है। उन गरीब किसानों से जो भूमि ली गयी है उसका उन को उचित कंपेंसेशन भी नहीं दिया जा सका है। जो साढ़े ब्राट गुना रेट दर के हिसाब से, कंपेंसेशन देने का प्रावधान था, मैक्सिमम 25 हजार तक कैश का प्रावधान इस में रखा गया था; लेकिन आज कल के रेट्स को देखते हुए वह बिलकूल नगण्य हो गया है। इस लिए पूरे ऐक्ट में जो प्रावधान किया ग्या है आज की परिस्थित को देखते हए वह किसी काम का नहीं रहा है। ग्रीर ग्राइन्दा बीस साल के बाद बाँड्स के हिसाब से पेमेंट करने का जो प्रावधान है पांच प्रतिशत ब्याज की दर से उसके हिसाव से तो उन को एक पैसा भर ही मिल पायेगा, जैसाकि ग्राज कला बाजार के भाव हैं उनको देखते हुए उन के हिसाब से । इस कारण इस ऐक्ट में ड्रास्टिक एमेंडमेंट लाने की आवयश्कता है ताकि वर्तमान समय में जिनकी भिम ली जा रही है उनको उसका पुरा-पुरा मुद्यावजा मिल सके।

इस संबंध में मैं यह भी निवदन करना चाहंगा कि इस एवट के ग्राने के वाद जितनी भी भूमि ली गयी है उससे कुछ लोगों को पूरा फायदा मिला भी था। वह इस प्रकार से मिला था कि जी कैश एमाउन्ट उनको दिया गया या उस को उन्होंने दूसरी जगह इंवेस्ट कर दिया और उसका पूरा फायदा उठाया । उन्होंने खेतों का जमीन पर पक्के मकान भी बनाये हैं, गोदाम भी बनाये हैं और उससे उनकी माली हालत सुधरी है। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयर पोर्ट की ग्रोर ग्राप देखें तो वहां से जो लोग उठाये गए थे उन्होंने पालम कालोनी में जो पहले भी थी ग्रीर दस, पंद्रह साल पहले बिलकुल सूनी जगह थी वहां उन्होंने बड़े श्रीर श्रच्छे मकान उसी कंपेसेशन से बनाये हैं और इसका फायदा [श्री भंवर लाल पंवार]

भी गरीब लोगों को मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया ओर देशमुख जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सदन में चर्चा के लिए यह संकल्प लाये। मंत्री जी को इस थ्रोर जल्दी ही ज्यान देता चाहिए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद खलीत्र रहमान (श्रान्ध्र प्रदेश): मैं सबसे पहले श्रान्रेबल मैम्बर ग्रीर ग्रपने साथी श्री शं० ना० देखमुख को मृबारक पेश करता हूं कि उन्होंने वक्त के ग्रहम को पेशेनजर रखते हुए मृनासिब वक्त पर रेजोलूशन इस ग्रवाम में पेश किया है। मैं श्री शं०ना० देखमुख जी के रेजोलूशन की भरपूर ताईद करता हूं।

वाइस चेयरमैन साहब, जैसाकि श्रीरों ने कहा यह सही है हमारे जंगी आजादी के रहन्माओं की और हमारी दस्तूर-साज-ग्रसम्बली के रहनमाश्रों की यह मंशा थी कि भारत में एक सोशलिस्टिक पेटर्न ग्राफ सोसाइटी कायम की जाये। इस किस्म का समाज कायम किया जाए जिसमें गरीबों को भी पूरा-पूरा तरक्को करने का मोका मिले, ग्रागे बढने का नौका मिले। मगर पिछले चंद सालों से खासतीर से 15 सालों से हम यह महसूस कर रहे हैं कि दस्त्र-साज-**भ्रसे**म्बली की जो नंशा **है** वह उनके मुताबिक नहीं लगती । गरीब ब्रादमी बजाय तरक्की करने के गरीब से गरीब होता जा रहा है। जसािक हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की 85 फीसदी जमीन एग्रीकल्चर है। मैं क्या देखा रहा हूं कि इस समाज में हमारे किसान भाई की हालत जिस तरह से खराब होती जा रही है उस तरह से किसी और तबके में नहीं हुई है। हम यह देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। खासतीर से जो प्राइसेज हैं वे काफी बढ़ चुके हैं भौर किसान इस काबिल नहीं है कि वह प्राइसेज बर्दाश्त कर सके। फर्टीलाइजर की जो कीमतें हैं वे ग्रासनान से बार्ते करने लगी हैं ; किसान इस काबिल नहीं है कि वह फर्टीलाइजर का इस्तेमाल कर सके। इन हालात में सबसे बड़ी बदकिस्मती किसान की यह है कि जमीन जो उसकी दौलत थी, जो उसकी मां थी, वह जमीन भी उसके हाथ से चली जाती नजर आ रही है। हम यह देख रहे है कि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ भ्राबादी बढ़ती जा रही है। इससे हम यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में जो पेशेइजरात हैं उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। इस वजह से हुकूमत की यह ग्रहम जिम्मेदारी है कि इस खतरे से देहातों को बचाये, किसानों को बचाये। हम यह देख रहे हैं कि हुकुमतें खासतौर से बोगस हाउसिंग सोसाइटी के लिए शहरी इलाकों में जमीन एक्वायर करती हैं वह इस वजह से एक्वायर करती हैं, इस गर्ज से एक्वा-यर करती हैं कि वेघर किसानों को मकान बना कर देंगे, दूसरे बेघर लोगों को मकान बना कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि वे जमीनें उनसे सस्ते दामों पर हासिल कर लो जाती हैं भ्रीर उस को गलत तरीके से इस्तेम ल किया जाता है। वे जमीन को 5 से 10 रुपये फी गज के हिसाब से हासिल करते हैं और उसको 200, 400 श्रीर हजार दो हजार रुएए फी गज के हिसाब से बेचते हैं। तो ग्राप जरा ग्रंदाजा लगाइये कि इससे वे कितना मनाफा कमाते होंगे। इसकी वजह से वे लोग जो हैं वे रातों रात करोडपति बन जाते हैं, ग्ररवपति बन जाते हैं । मगर इसमें पिसता कौन है ? इसमें किसान पिसता है श्रीर वह तबका पिसता है जिसने देश को पालने की जिम्मेदारी ग्रपने कंधों पर ली हुई है। इंतहाई अफसोस की बात है। इसकी रोकथाम के लिये यह जरूरी है कि हक्मत की जानिब से मुनासिब कानुन साजी की जाये । इस वक्त जो ग्ररवन लैंड सीलिंग ऐक्ट, 1966 है वह इस काबिल नहीं है जो इस मकसद को हासिल कर सके। इस वजह से हमारे देशमुख जी ने जो यह रेजोल्युशन पेश किया है इसकी मैं ताईद करता हं थीर मैं हुकमत से इस बात की गुजारिश करता हूं कि वह जत्द से जत्द सगर इस रेक्ट में रू भी रही तो कमा से कम डाइन्टा डाने बाले रेक्ट में जाने बार मौजूं डमेडमेंट के साथ इसको लाये। यह कहते हुए रही डाएने जो बब्द दिया है उसके दिये डाएका एडिया डटा कम्सा है।

†[شرى محمد خليل الرهان

(آن عالی بردی بن): بی می سے
پہلے آنریدل سمبر او ایے مائی
شری منکر راؤ نیائی بیشت بی کو
سیارکیا، پیس کیا بیان کا آنہوں نے
وقت کی امید کیا بیان کا رکھنے
موڑنے سنا می وقت در براوشی اس
ایمان سیا بیوس کیا ہے - سیا
نیان سیا بیوس کیا ہے - سیا
نیازولوشی کی بہریور تائی، کرت موں -

وناب ارس ويحبى ساعب جیسا که اوروں نے کیا یہ سعیم ھے کے هدارے علائے ،انی نے علمانی کی اور هناری دیون با مینی کے 🏲 بھٹمایی کی ہے، مفا تبی - کہ بهادت مي ايك سوشل اسدك بيدون أب سومائل الله في والي اس قسم فا مناج قائم كيا عاني جسمين غریدو کو جی بور برا تری کرنے to pring also is all single سکر بھانے چانا ساول سے غال عور سے 10 ماوں ہے تم یہ عصوس کو عے عین کے دیانو ساز اسمیلی کی عوصدها نے وہ اللہ علاق نهين لكلي - غرب - أحسى بجائد ترقی کرنے کے غورب سے غرب تر

هوتا جا رها ہے ۔ جیسا کہ هم الهان طرح مے واردے عین کا همارے هيمي کي ۸۵ فيصل زمين ايکني کا جو مهن ہے - میں کیا دیکھ رہا ہوں که سیام میں هدارے کسان بہائی کی حالت جس طرح سے غراب هوتی جا رهی ہے اس طرح سے کسی اور طبقه میں نہیں ھوئی ہے۔ ھم یہ دیک ہے عین کا ای یہ دی إسدين إدافه هونا جا رها هے -عامر طور پر جو پراسينز هين ولا كالى بره چار هيں - اور كسان اس قابل نہیں ہے که وہ پراٹسز کو يردان عد در مع - فراني لاديز كي جو قهدتها هها والأساع سر بانها كورهي هين - كسان اس قابل تهيهن هے كه وه فوئي اللهور ا استعمال ! کو سکے - ان حالت میں سب سے ہوی بداستی کسان کی یہ ہے کہ وصهن جو اسمى دولت تهي - جو اسكى سال تهى ود زمين بهى اسكم ھاتھ سے چال جاتی نظر آرھی ھے -هم یه دیکه ربے عیں که گرامین علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف آباد عردت أرهى هے - اس م هم یه سحموس کر رقے عیں که هماري دوي مدن جو دهد فراع هے اسکو بہت بچا عدی چہدی سکتا ھے - اس وجہت سے عکرہ عا کی یہ المد ف عدادي هے - كه اس غارم سے دیہانوں کو پجائے - کسانوں کو بحصائے هم يه ديكي رفے هيا كه

کرسکے - اس وجہہ سے همارے دیشمکھ جی نے جو یہ ریزولوشن پیش کیا میں اسکی تائید کرتا هوں اور میں حکومت سے اس بات دی گزارش کرنا هوں که وہ جلد - اگر اس سیشن میں نہ بھی سہی تو کم سے کم آئندہ آنے والے سیشن میں جانم اور موزوں امندمنت کے سانہ اسکو لائیں میا ہے کہتے هوئے محجھے آپ نے جو رقت دیا ہے اسکے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا هوں -]

·श्रीः सागर रायका (गुजरात) : ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के बारे में कुछ कहना चाहता है। 1976 में जब कांग्रेस प्रस्ताव लाई थी ि ... (**ठ**्व**धान**) ... कांग्रेस, समाजवादी सरकार ने इस प्रस्ताव को रखा या कि इस देश में सब लोगों को रहते के लिये घर मिलें। रहते की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिये उस संकल्प को उस समय लाया गया था श्रीरबहुत यड़ उद्देश्य के साथ सरकार ने इसको रखा था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को करीबन ग्यारह साल हों गये, इन ग्यारह सालों में जो भूमि इस देश के गरीब लोगों के घरों के लिये उपलब्ध होनी चाहिए वह भूमि ग्रभी तक नहीं ली है। ग्रभी सदस्यों ने बताया सरकार को जो भमि लेनी चाहिए थी श्रौर जितनी जल्दो लेनी चाहिए थी उस भूमि को लेने में बहुत दिलम्ब हो गय है। 1976 के पहले भी कांग्रेस ने इस देश में जो जो कार्यक्रम चलाये व सब प्रगतिशील कार्येकम थे। 1979 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राजाओं की प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई। इन बातों के साथ यह विश्वास किया-जाता था कि शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की रहने की समस्या भी हल हो जायेगी। लेकिन ग्रभी इस संबंध में बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिये

[شرى محمد خليل الرحمان] حكومتهن خاص طور ہے ہوگس هاؤسنگ سوسائتی کیلئے شہری علاتوں مين زمهن ايكوائر كرتي هين - ولا اس وجهه سے ایکوائر کرنی هیں -اُس غرض سے ایکوائر کرتی ھیں کھ یےگھر کسائوں کو مکان بذاکر فایڈگے -دوسرے یے گھر لوگوں کو مکائ بناکر دينگه - ليکن ايسا هوتا نهين هه -یہ انسوس کی بات ہے کہ وہ زمینیں انسم سستیم داموں پر حاصل کری جاتی هیر اور اسکو فلط طریعے سے استعمال کیا جانا ہے - وہ زمیلوں کو ہائیم یا دس روپئے فی گز کے حساب سے حاصل کرتے ھیں - اور أسكو ۲++ ۱۰۰۰ اور هؤار دو هؤار رویئے نی گز کے آحساب سے بھچھے هين - تو آپ ڏرا اندازه لاائے که اس سے ولا کتابا منافع کمانے ہونگے ا أسكي وجهة سے ولا لوگ جو أهيل ولا راتوں رات کررزیدی ہی جاتے میں -ارب پتی ہی جاتے میں - سکر اسمی يستا كون هے - قاسين كسان يستا هے - اور وہ طبقه پستا هے - جس لے دیس کو پالنے کی قسم داری ایے كندهون پر لي هوئي هے - انتہائي افسوس کی بات ہے ۔ اسکی روکاتھام کھلگے به شروری ہے که حکومت کی جانب سے مناسب قانون سازی کی جائے - اس وقت جو اور ارین لیلق سلينک لکت ١٩٩٩ هـ وه اس قابل نہیں ہے جو اس سقصد کو حاسل

यह संकल्प माननीय सदस्य ने यहां पर प्रस्तुत किया है। जो बात इस संकल्प में है वह यह है कि जो फायदा इस देश के शहरी गरीबों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है ग्रीर इसका जो सही अमलीकरण होना चाहिए या उस अमलीकरण में कुछ खामियां है, कई तुटियां है। इनको दूर करने के लिये देशमुख ंजी इसमें कुछ माननीय सुझाव लाये हैं जिनका मैं स्वागत करता हं । महोदय, यह प्रस्ताव अमलीकरण के लिये लाया गया है ताकि समस्या को काफो हद तक हल किया जा सके और उसके लिये उन्होंने सुझाव मी दिये हैं। उन्होंने इसमें जो मुद्दा बताया है वह यह है कि शहरों और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में भूमि के मुल्यों को भारी बढावा मिला है। यह बात महोदय, बिल्कुल सही है। लोग कई धंधे करते होंगे मगर जमीन के मामलों में जो लोग पड़े हुए हैं वे भो इस देश के बड़े दामचोर हैं। मुझे याद है कि बम्बई के कई स्मगलरों को ग्रहनदाबाद ग्रीर राजकोट में ग्रपनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं काले बन को वहां जना रखते हैं और काले धन को छिपाने के लिए वह जमीन का धन्धा करते हैं। इसको हमें चाहे जैसे भी हो बन्द करना चाहिये । इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन लोगों को गुरू करता चाहिये। हमते शहरों में ऐसी दशा देखी है कि लोगों के वास रहते के लिए घर नहीं है। रात दिन मजदूरी करते हैं जब अपने घर में जाते है जादो-पदा बोबी बच्चों के साथ ग्रपने शरीर को छिपाने के लिए उनके पस घर नहीं है। इस देश में कई लोग ऐसे है जिनके पास दो-दो, चार-चार पांच-पांच घर होते हैं। इस एक्ट को लाने के लिए इस ब्यवस्था को लाने के लिए इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति हमारे देश में है उसको सभाष्त करने के लिए यह संकल्प बहुत समय पहले लाया गया था मगर इस पर सही ग्रमल ग्रमी तक नहीं हया है और सही अमल न होने की वजह से आज हम भूमि उपलब्ध नहीं कर सके लोगों को घर नहीं दे

सके जिनको कि घर की आवश्यकता थी। जब हमें आजादी मिली तो गांधी जी ने . उस समय कहा था सही कहा था कि जब तक ग्राधिक ग्राजादी लोगों को नहीं मिलेगी तब तक ग्राजादी का कोई ग्रर्थ नहीं रहेगा। शहरों के ग्रासपास के लोग श्रपने व्यवसाय की खोज में शहरों में ज्यादा तादाद में ग्राते जाते रहते हैं मगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है जिस पर वे अपना घर बना सकें। जो सरकार की जगह होती है उस सरकारी जगह पर कई एन्टी सोशल एलीमेंटस अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। सरकार जब अपनी सरकारी जमीन को नहीं छुड़ा सकती है तो जो किसान है वह प्रपना खून-पसीना बहाकर उस मिट्टी में से सोना पैदा करता है जिसके पास अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। जिस आदमी के पास अपना धन्धा है अपना पैसा है वह इस पैसे को कहीं पर भी लगा कर के कोई दूसरा व्यवसाय कर सकता है मगर किसान जो केवल अपनी कृषि पर आधारित है उसके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है जब उसकी जमीन ली जाती है उसको पैसा भी सही समय पर नहीं मिलता है वह कान्न किसानों के लिए इतना फायदा नहीं कर सका है 1 में तो यह कहना चाहता हूं कि इससे किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है इससे उनको तकलीफ हुई है। धारदणीय देखम्ख जी के संकल्प का मैं समर्थन करतो हूं। किसानों की बात 10 साल के बाद इंस सदन में आई है किसानों को जो दिक्कतें पड़ती है, छोटा किसान जिसके पास 10 एकड़, पांच एकड़ या दो एकड़ जमीन होती है जब उसके घर मे कोई प्रसंग आता है उसको पैसे की जरूरत होती है तो वह उस जमीन को किसी के पास गिरवी रख करके दो हजार रूपये लेकर अपने घर का प्रसंग निकालता है ग्राज तो किसान वह चीज भी नहीं कर सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान ग्रनपढ़ होने की वजह से लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो फार्म भरे जाने थे उसको न समझ सकने के कारण फार्म फिल-अप नहीं कर सके

[श्रीस गररायका]

षे। ग्राज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको बहुत सी िक्कते आ रीह है। तो बड़े जमीदार थे जमीन के सटटाखोर में उन लोगों ने बड़े-बड़े वर्काला को भदद लेकर अपने फार्म फिल-अप कर लिये थे मगर जो छोटा किसान जिसके ास एक एकड़ या एक बीघा जमीन बी जो कायदा-कानुन नहीं जानते य जो बकीलों के पास नहीं जा सबते थे जो उनको समझा सकते वह आज भी फंस एहे हैं और उनकी जमीन आज भी सरप्लस रैंड में जा चकी है। ऐसे किसानों के **गरे में मैं सरकार से यह मांग करता** कि दोबारा सोचा जाए जो छोटे कसान है जिनको इस कायदे-कानून **ही जानकारी नहीं थी उसके ग्रमाव में** ाो पुरा फायदा नहीं ले सके भार इस हानुन के अन्दर जो अलाज थी जिसके ानुसार जरूरी फार्म फिल ऋप वरने थे ह रह गय थे इसलिए उस एक्ट में शिशेधन करना जरूरी है। अब मैं दूसरा रिम के लेन-देन के बारे में बताना गहता हं। इस देश के अन्दर वई ऐसे ाद्योग है जो सिक हो जाते हैं मगर ामीन के धन्धे में पड़े हुए हैं इस देश s बड़े दक्षान है वह जमीन के अन्दर गपना कालाधन छिपाते हैं। कालाधन इस शार्का व्यवस्था को तोड़ रहा है, ыल धन इस देश की एकता को तेड़ रह है, श**ल**धन इस देश के अन्दर एक ऐंा गाद कर रहा है कि जिससे इस देश के रीब लोगों को धाग धान में

P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AGESH DESAI): Discussion on the esolution will continue on 11th De-jmber, 1987. Members who have ven their names to speak on the ssolution may do so on that day.

Now, we take up the Calling AUen-m motion.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative Prices to the Sugarcane Growers for their produce—contd.

भी जगदम्बी प्रसाद थादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख और आष्ट्यर्य दोनों होता है कि यह देश किस।नों का है लेकिन यह सरकार किसानों की नहीं है। उससे भी दखद बात यह है कि हम सांसद कसानों के 75 से 80 प्रतिशत मतदान से यहां भ्राते हैं भ्रौर सरकार के मंत्रियों को **छोड़ दें तो जितने सदन के सदस्य हैं** सबके सब शगर केन की, गन्ने की कीमतें इद्वाने के लिए एकमत से बात करते हैं। फिर एक सवाल उत्पन्न होता है कि सिर्फ मंत्री जी प्रकेले विस सभी सांस्दों के वहने के वावजुद उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वह कौन सी शक्ति है ? सरकारी प्राइस वर्माशन की, पूंजीपतियों की, कि जब सरकार के दोनों तन्त्र दोनों सदन एकमत से वहें कि गन्ने की कीमतें बढ़ाई जायें तब भी सरकार 18 रुपय के मिनिमम प्राइम को बढ़ाने की बात नहीं करती है। एक बात तो मैं यह जानना चाहता है।

प्राह्म कमीशन की बात हमारे कल्पनाथ राय जी ने उठाई। प्रधान मंत्री जी
ने वहा कि एग्रीवरूचर कास्ट एण्ड प्राह्म कमीशन बनाश्री। बनाने की प्रक्रिया में था कि उसमें 7 सदस्य होंगे ग्रीर 7 सदस्यों में से मैक्सीमम प्रतिनिधित्व किसानों को देना था। तो कमीशन चल रहा है, प्रतिनिधि उसमें जोड़ा नहीं जाता है। उब किसानों के प्रतिनिधि इसमें नहीं होंगे तो फिर इस प्राह्म वर्मेशन ने कैसे 18 रुपये क्विटल क्षम निष्चित निया, मेरा यह ग्रापनं साफ-साफ प्रकृत है ... (इवधान)

उपसमाहका (श्री जनेश दसाई): कुछ बोले थे वह रिकार्ड पर है।